बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

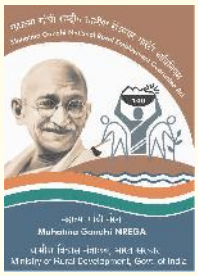

मनरेगा के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी

(फॉर्म फौरेस्ट्री/एग्रो फौरेस्ट्री) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

(Standard Operating Procedure For Social Forestry Under MGNREGA)

प्रस्तावना

मनरेगा केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सभी इच्छुक वयस्क को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में Working Season मात्र 4 से 5 महीना है, क्योंकि 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ग्रस्त है। जून 15 से जनवरी एवं फरवरी तक मिट्टी का कार्य इन बाढ़ग्रस्त जिलों में नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से 100 दिन का रोजगार मिट्टी के कार्य में मिलना संभव नहीं है। इसलिए वृक्षारोपण ही एक ऐसी योजना है, जिसमें सालोभर बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। इसके कारण बिहार में 34.06% बी.पी.एल. परिवार रहने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय 2462.02 करोड़ रुपये मात्र है, जबकि आंध्र प्रदेश में मात्र 10.96% बी.पी.एल. परिवार है परन्तु वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय 5347.91 करोड़ रुपये है। अतः स्पष्ट है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा के अंतर्गत व्यय अधिक नहीं हुआ।

पर्यावरण संतुलन, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य से है। पर्यावरण संतुलन हेतु आवश्यक है कि धरती का कम से कम 33 प्रतिशत भूमि क्षेत्र वन एवं पौधों से अच्छादित हो। बिहार राज्य अंतर्गत मात्र 10.3 प्रतिशत (वन सहित) वृक्षों से अच्छादित है जबकि राष्ट्रीय औसत 23.74 प्रतिशत है। राज्य सरकार वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कृत संकल्प है एवं वर्ष 2017 तक इसे 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। यह राज्य सरकार के प्रयासों का ही फलाफल है कि वर्ष 2011 में लगभग 9.00 प्रतिशत से बढ़कर यह वर्तमान में 10.3 प्रतिशत हुआ है। मनरेगा अंतर्गत सूखारोधी एवं वृक्षारोपन कार्य का प्रावधान होने के कारण पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रयासों के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत भी विगत 5–6 वर्षों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य हुआ है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 अंतर्गत सूखा रोधी एवं वृक्षारोपण कार्य शुरू से प्रावधानित है। इस क्रम में बिहार राज्य में मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी की योजना 2008–09 में लागू की गयी जिसमें 200 पौधे को युनिट मानकर प्रत्येक युनिट हेतु चक्रीय क्रम में 4 परिवार के वृद्ध, अपंग, महिलाये आदि को पौधें के संपोषण कार्य देने का प्रावधान किया गया था ताकि प्रति दिन के आधार पर इन पौधों की देख रेख हो सके एवं प्रति परिवार अधिकतम 100 दिन प्रति वित्तीय वर्ष का रोजगार 3 से 5 वर्षों तक उपलब्ध हो सके।

भारत सरकार द्वारा निर्गत नयी मार्गदर्शिका के अनुसार बिहार के जनसांख्यिकीय (demographic) एवं भूमि (land) की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक 200 फलदार एवं लकड़ी पौधों अथवा एक हजार बाँस पौधों पर दो वन पोषकों को संबंद्ध किया जायेगा । प्रत्येक वन पोषकों को प्रत्येक माह में 90 % से ज्यादा पौधो के जीवित रहने पर प्रत्येक जीवित पौधें के आलोक में 7 रूपये की राशि लगातार पाँच साल तक दी जायेगी। पाँच साल के बाद उन्ही परिवार को 50–50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत वृक्ष पट्टा के रूप में दिया जायेगा जिसका लाभ (usufruct right) उन्हें मिलेगा।

वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की गयी वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बन्द कराकर वृक्ष संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ संलग्न कर वनपोषको को दिया जायेगा। वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–2015 में वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बन्द कराकर उन सभी योजनाओं को पुनः नये दिशा–निदेश के अनुसार नये रेकर्डस खोलते हुए चार वनपोषक के स्थान पर दो वनपोषक को सम्बद्ध किया जायेगा।

सामाजिक वानिकी से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा–निदेश, वृक्षारोपण योजना कार्यान्वित करने की प्रक्रिया, पौधा रोपण का समय, Farm Forestry एवं Agro Forestry के संबंध में जानकारी, वर्षाऋतु में वृक्षारोपण का कार्यान्वयन, निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण संबंधी प्राक्कलन, अभिलेख संधारण, स्वीकृति आदेश इत्यादि के प्रारुप को संकलन कर सामाजिक वानिकी पर संदर्भ पुस्तिका तैयार की गई है। मुझे उम्मीद है कि मनरेगा के हितधारकों के लिए लाभदायक होगी।

शुभकामनाओं के साथ।

(एस. एम. राजू)

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना

विषय सूची

क्र.सं.	विवरणी	पृष्ठ सं0
अध्याय — 1		
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम **(MGNREGA)** में सामाजिक वानिकी से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न **(FAQ)**	1–4
अध्याय — 2		
	मनरेगा **(MGNREGA)** के तहत सामाजिक वानिकी का क्रियान्वयन	5–16
1.	एक परिचय :	5–6
	(I) सामाजिक वानिकी का मूल्य उद्देश्य	
	(II) मनरेगा अधिनियम की जानकारी	
	(III) योजना का लक्ष्य	
2.	मनरेगा अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किये जानेवाले कार्य :–	6–7
	(I) कार्य की विवरणी	
3.	मनरेगा अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं योजना के क्रियान्वयन निकाय का चयन	8
4.	कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियन्ता PTA, PRS के कार्य ।	9–10
	(I) कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्य	
	(II) कनीय अभियंता का कार्य	
	(III) पंचायत तकनीकी सहायक का कार्य	
	(IV) पंचायत रोजगार सेवक का कार्य	
5.	कार्य की प्रक्रिया	10–12
	(I) वन क्षेत्रों के लिए	
	(II) वन क्षेत्र के बाहर की भूमि पर वानिकीकरण इत्यादि के लिए	
6.	व्यक्तिगत विकास हेतु बागवानी	12
7.	पौधा रोपण का समय	12
8.	पौधा प्रजाति का चयन	13
9.	वनपोषकों का भुगतान	13
10.	वनपोषकों का चयन एवं दायित्व	13
11.	वन पोषक के चयन की प्रक्रिया	14
12.	सामग्री खरीद	14
13.	सिंचाई व्यवस्था	15
14.	मेट रखने की प्रक्रिया।	15
15.	मेट का दायित्व	15

क्र.सं.	विवरणी	पृष्ठ सं०
16.	पौधे की क्षति होने पर पुनः पौधारोपण करने के संबंध में	16
17.	प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया।	16
18.	सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण की योजना के समाप्ति के उपरांत देखभाल	16
19.	विविध	16

अध्याय – 3

	सामाजिक वानिकी हेतु सूचिबद्ध फैसिलीटेटर के कार्य एवं दायित्व	17–18
I	फैसिलीटेटर द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य	17
II	फैसिलीटेटर के भुगतान के सम्बंध में	18

सामाजिक वानिकी से सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

1.	मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी का कार्यान्वयन फैसिलीटेटर के सहयोग से कराने के संदर्भ में विभागीय दिशा निर्देश ।	19–20
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Oilseeds देने वाले पौधों का पौधारोपण एवं रख रखाव से सम्बन्धित पत्र	21
3.	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फैसिलीटेटर नियुक्त करने से सम्बन्धित पत्र	22
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कृषि एवं अन्य कार्य से सम्बन्धित पत्र	23–24
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथो के फ्लैंक में मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण से सम्बन्धित ग्रामीण कार्य विभाग का पत्र	25
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा NHAI के पौधारोपण से सम्बन्धित पत्र	26–27
7.	मनरेगा एवं रेल मंत्रालय के बीच अभिसरण से सम्बन्धित विभागीय पत्र	28–29
8.	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा एवं रेल मंत्रालय के बीच अभिसरण से सम्बन्धित पत्र	30–31
9.	फैसिलीटेटर एवं उनको आवंटित जिले	32
10.	वृक्ष संरक्षण योजना अंतर्गत वनपोषक द्वारा वृक्षारोपण हेतु आवेदन पत्र	33
11.	वृक्ष संरक्षण आवंटन प्रपत्र	34
12.	वनपोषक बनने की शर्तें	35–37
13.	वर्षा ऋतु में योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित पत्र	38–39
14.	मनरेगा योजनान्तर्गत सड़क किनारे बीजू फलदार पौधारोपण तथा पौधो की सिंचाई हेतु प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्र	40–41
15.	मनरेगा योजनान्तर्गत पौधा रोपण के लिए सिंचाई व्यवस्था से संबंधित पत्र	42–43

क्र.सं.	विवरणी	पृष्ठ सं0
16.	PHED द्वारा Tube Well से संबंधित प्राक्कलन	44–49
17.	वनपोषक से संबंधित परिचय पत्र	50
18.	नदी के ढ़लान, नदियों का बाँध एवं बारिश के मौसम में जल जमाव होने वाले क्षेत्र में फलदार वृक्ष यथा जामुन का पेड़ लगाकर रोजगार सृजन करने एवं भू–संरक्षण करने से संम्बन्धित पत्र	51–54
19.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के अन्तर्गत बांस रोपण द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी संरक्षण करते हुए रोजगार सृजन से संबंधित पत्र	55–56
20.	Certification of Bamboo Planting Materials से संबंधित पत्र	57
21.	बाँस के नर्सरी सत्यापन संबंधी कागजात उपलब्ध कराने से संबंधित पत्र (Certification of Bamboo Planting Materials)	58–61
22.	मनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय परिसर एवं अस्पताल परिसर में पौधारोपण से संबंधित पत्र	62–63
23.	मनरेगा योजनाओं का प्रखंड स्तर पर 100 प्रतिशत तथा जिला स्तर पर 10 प्रतिशत निरीक्षण करने के प्रावधानानुसार निरीक्षण कर प्रतिवेदन को प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायतवार संधारण करने एवं मनरेगा दिशा निर्देश तृतीय संस्करण अध्याय–9 के अनुसार पंजियों को ग्राम पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर संधारण करने से संबंध में दिशा–निर्देश ।	64–66
24.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर फलदार पौधा रोपण योजना से संबंधित अभिलेख का प्रपत्र	67
25.	काम के लिए बी0पी0एल/लघु सीमान्त किसान द्वारा अपने जमीन पर बांस पौधारोपण करने हेतु आवेदन फार्म	68–69
26.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर लघु/सीमान्त किसान द्वारा फलदार पौधारोपण योजना का स्वीकृत्यादेश	70–71
27.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर लघु/सीमान्त किसान द्वारा फलदार पौधारोपण योजना का कार्यादेश	72
28.	साप्ताहिक मापी प्रपत्र	73
29.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर बॉस पौधारोपण योजना से संबंधित अभिलेख	74
30.	काम के लिए बी0पी0एल/लघु सीमान्त किसान द्वारा अपने जमीन पर बांस पौधारोपण करने हेतु आवेदन फार्म	75–76
31.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर लघु/सीमान्त किसान द्वारा बॉस पौधारोपण योजना का कार्यादेश	77

क्र.सं.	विवरणी	पृष्ठ सं०
32.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर बॉस पौधारोपण योजना का स्वीकृत्यादेश	78
33.	साप्ताहिक मापी प्रपत्र	79
34.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना से संबन्धित आदेश फलक	80
35.	काम के लिए संयुक्त आवेदन फार्म	81
36.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना से संबन्धित स्वीकृत्यादेश	82
37.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना का कार्यादेश	83
38.	साप्ताहिक मापी प्रपत्र	84
39.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर बॉस पौधारोपण योजना से संबंधित आदेश फलक	85
40.	काम के लिए संयुक्त आवेदन फार्म	86
41.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर बॉस पौधारोपण योजना का स्वीकृत्यादेश	87
42.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर बॉस पौधारोपण योजना का कार्यादेश	88
43.	साप्ताहिक मापी प्रपत्र	89
44.	मनरेगा योजना अन्तर्गत सामाजिक वानिकी पौधारोपण योजना में मेट रखने का आदेश फलक	90–92
45.	मनरेगा योजना अन्तर्गत सामाजिक वानिकी पौधारोपण योजना में मेट के कार्य संबंधी स्वीकृत्यादेश	93–95
46.	मनरेगा योजना अन्तर्गत सामाजिक वानिकी पौधारोपण योजना में मेट रखने हेतु कार्यादेश	96–98

मानक प्राक्कलन

1.	सरकारी जमीन पर फलदार पौधा की खेती के लिए मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 200 पौधे)	99
2.	निजी जमीन पर फलदार पौधा की खेती के लिए मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 200 पौधे)	100
3.	सरकारी जमीन पर बॉस पौधारोपण की खेती के लिए मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 200 पौधे)	101

****

अध्याय – 1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (MGNREGA) में सामाजिक वानिकी से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार क्या है ?

उत्तर : भारत सरकार द्वारा लागू की गयी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MNREGA), देश के ग्रामीण क्षेत्र के सभी इच्छुक परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्मिलित रूप में 100 दिनों का अकुशल/अर्द्धकुशल कार्य के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है।

प्रश्न 2. इसके लाभार्थी कौन होंगे?

उत्तर : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लाभार्थी सभी वर्ग के निःशक्त, विधवा एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ होंगी ।

प्रश्न 03. सामाजिक वानिकी कार्य योजना बिहार में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं?

उत्तर : (क) बिहार का वन क्षेत्र सिर्फ 10.3 प्रतिशत है, जबकि भारत का वन क्षेत्र 23.8 प्रतिशत है। पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिए 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की आवश्यकता है। चूकि बिहार में वन क्षेत्र मात्र 10.3 प्रतिशत है, अतः पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए सामाजिक वानिकी एवं निजी जमीन पर फलदार पौधारोपण (एग्रो फॉरेस्ट्री) ही एक मात्र विकल्प है, जिससे यह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। मनरेगा के दिशानिर्देशानुसार कृषि से सम्बंधित परिसम्पतियों के सृजन हेतू 60 प्रतिशत योजनाओं का चयन किये जाने एवं उसमें सामाजिक वानिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने का निदेश दिया गया है। नदी के किनारे, बाढ़ रोधक बॉध के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे, पोखर, तालाब, पईन विद्यालय एवं अन्य सरकारी भूमि एवं लघु/सीमांत किसान के जमीन पर पौधारोपण का कार्य किया जा सकता है।

(ख) बाढ़, जल–जमाव एवं कटाव से त्रस्त उत्तरी बिहार में भूमि संरक्षण एवं सूखे से उत्पीड़ित दक्षिणी बिहार में जल संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी के माध्यम से स्थिति में सुधार लाना।

(ग) वन क्षेत्र में सामाजिक वानिकी के माध्यम से समुचित वृद्धि लाना ,जिससे पर्यावरण में सुधार हो सके।

(घ) सड़कों के किनारे–किनारे पेड़ लगाकर, सड़क को कटाव से बचाना तथा यातायात को सुविधाजनक बनाना।

प्रश्न 4. क्या निजी भूमि पर भी पौधारोपण कार्य कराया जा सकता है?

उत्तर : (i) हॉ, सभी बी0पी0एल0 धारी लघु एवं सीमांत किसान/अनुसूचित जाति/जन जाति, इंदिरा आवास लाभांवित परिवारों के जमीन पर भी पौधारोपण कार्य किया जा सकता है, वे खुद इस कार्य को देखेंगें और हर परिवार को 7 रूपये प्रति पौधा प्रति महिना पौधो के देखभाल के रूप मे मिलेगा । एक परिवार को 200 फलदार पौधा के लिए 1 युनिट का 1400 रूपया प्रति महिना पॉच साल तक लगातार मिलेगा।

(ii) निजी जमीन पर पौधारोपण में पौधों की देखभाल सालों भर खुद ही परिवार को करनी होगी, लेकिन सिर्फ एक परिवार को सिर्फ 7 रूपये प्रति पौधा प्रति महिना पौधो के देखभाल के रूप मे मिलेगा । एक परिवार को 200 फलदार पौधा के लिए 1 युनिट का 1400 रूपया प्रति महिना पॉच साल तक लगातार मिलेगा।

प्रश्न 5. सार्वजनिक भूमि पर पौधारोपण कार्य कैसे होगी ?

उत्तर : (i) 200 फलदार पौधा के लिए एक ही जाति के दो परिवारों को पाँच सालों के लिए संलग्न किया जायेगा। ये समूह सम्मुलित ढ़ग से पाँच वर्षो तक पौधों की देखभाल करेंगें। हर परिवार को 200 फलदार पौधा के लिए 1 युनिट का 1400 रूपया प्रति महिना पॉच साल तक लगातार मिलेगा।

प्रश्न 6. क्या सिंचाई की व्यवस्था है ?

उत्तर : हॉ, हर 200 से 400 पौधों के लिए 1 चापाकल की व्यवस्था है और हर 600 पौधों या आवश्यकतानुसार बड़ा चापाकल (Tube Well) की भी व्यवस्था की जा सकती है। पौधों के बीच अन्य फसल की खेती कर के अतिरिक्त आमदनी भी किया जा सकता है जैसे– साग, सब्जी, अरहर इत्यादि।

प्रश्न 7. कहाँ–कहाँ पौधा लगाया जा सकता है ?

उत्तर : ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी खाली पड़ी जमीन के अलावा, ग्रामीण सड़क के किनारे, तालाब, पोखर के इर्द–गिर्द, विद्यालयों ,अस्पताल के परिसर एवं अन्य सरकारी जगहों पर लगाया जा सकता है।

प्रश्न 8. बॉस पौधारोपण की प्रकिया क्या है ?

उत्तर : 1 गढ्ढे में 5 बॉस का पौधा लगेगा अर्थात गढ्ढे के चार कोना पर चार पौधा एवं केन्द्र में एक पौधा लगेगा तथा गढ्ढा 3x3x3 का होना चाहिए। 200 गढ्ढे के लिए कुल 1000 बॉस के पौधे लगाये जायेगे । दो परिवारों को इन 1000 पौधों के देखभाल के लिए संलग्न किया जायेगा । प्रत्येक परिवार को 1400 रूपये प्रति माह 5 वर्षो तक भुगतान किया जायेगा । दो गढढे के बीच 4 मीटर की दूरी रहेगी । बॉस पौधारोपण नदी के किनारे तथा बाढ रोधक बॉध के नदी के तरफ बॉस का पौधारोपण किया जायेगा।

प्रश्न 9. क्या नदी के किनारे निजी जमीन हो तो बाँस का पौधारोपण किया जा सकता है?

उत्तर : हाँ, क्योंकि इससे बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी को रोका जा सकेगा और इसमें भूमि मालिक को पौधों का स्वामित्व भी प्राप्त होगा।

प्रश्न 10. निजी भूमि पर पौधा लगाये जाने पर उसका हकदार कौन होगा?

उत्तर : निजी भूमि पर पौधा का हकदार भूमिपति को ही माना जायेगा।

प्रश्न 11. सामाजिक वानिकी से भविष्य में होने वाले लाभ क्या हैं ?

उत्तर : सामाजिक वानिकी से होनेवाले लाभ निम्नांकित हैं –

★ ग्रामीणों को न्यूट्रीशनल सिक्यूरीटी अर्थात फल उपलब्ध होना।

★ ग्लोबल वार्मिंग में तापमान को कम करने के लिए सुलभ साधन।

★ गाँव में लकड़ी एवं पशु चारा पर्याप्त मिलेगा।

★ उत्पादन बढ़ेगा क्योकि सारे जीव जन्तु के लिए मकान पेड़ होता है और जब जीव जन्तु के लिए मकान पेड़ के रूप में सृजित होगा तो फसल क्षति वाले कीड़े–मकोड़े पेड़ पर ही आश्रय लेंगे और फसल क्षति नहीं करेंगे।

★ स्कूली बच्चों एवं पथिकों को रास्ता में छाया मिलेगा।

★ वातावरण शुद्ध होगा।

★प्रश्न 12. वनपोषकों का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ।

उत्तर : प्रत्येक 200 पौधों अथवा एक हजार बाँस पौधों पर दो वन पोषकों को संलग्न किया जायेगा। प्रत्येक वन पोषकों को प्रत्येक माह में प्रत्येक जीवित पौधों के आलोक में 7 रूपये की राशि दी जायेगी । यह राशि प्रत्येक माह के अन्त में 90 % से ज्यादा पौधो के जीवित रहने पर ही वनपोषकों को दी जायेगी। अर्थात, प्रत्येक वन पोषक को प्रत्येक वर्ष 200x7x12 =16800 राशि प्रदान की जायेगी । यह राशि वन पोषकों को 5 वर्षो तक दी जायेगी यह दर वन क्षेत्रों में करने वाले पौधारोपन के लिए लागू नहीं रहेगा।

प्रश्न 13. अगर सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं है तो क्या इसे कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है?

उत्तर : ऐसी परिस्थिति में सभी योजनाओं को अनुपूरक कार्य योजनाओं में सम्मिलत करने हेतु मनरेगा के अंतर्गत पहले ग्राम सभा में पारित कराकर पंचायत समिति से अनुमोदित कराकर जिला परिषद को अनुमोदन हेतु भेजना आवश्यक होगा। अगर किसी स्तर पर परियोजना का अनुमोदन 15 दिनों तक प्राप्त न हो तो उसे अनुमोदित मानकर क्रियान्वयन शुरू किया जा सकता है तथा इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक संख्या–9106 दिनांक 16.07.2011 स्पष्ट निदेश है।

प्रश्न 14. इस परियोजना का वृहत लक्ष्य क्या है?

उत्तर : प्रत्येक पंचायत द्वारा फलदार एवं विभिन्न लकड़ी का पौधारोपण कर पाँच साल तक प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार को रोजगार सृजित करना है।

अध्याय – 2

मनरेगा (MGNREGA) के तहत सामाजिक वानिकी का क्रियान्वयन

1. एक परिचयः–

(I) सामाजिक वानिकी का मूल उद्देश्य –

i. सामाजिक वानिकी का मूल उद्देश्य Food, Fuel, Fodder का उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना ।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में फलों का उत्पादन बढ़ा कर ग्रामीण बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना एवं कृषि आधरित लघु उद्योग यथा जूस, जेली, जैम आदि को बढ़ाना ।

iii. बाढ, जल जमाव एवं कटाव आदि से भूसंरक्षण करना । उत्तर बिहार में Working Season मात्र छः माह ही रहता है। यहां पौधरोपण से सालों भर मजदूरों को फैक्ट्री की तरह रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।

(II) मनरेगा अधिनियम की जानकारी – यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 दिनांक 25 अगस्त, 2005 से लागू की गयी है। दिनांक 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम परिवर्तित कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया है। संक्षेप में इस योजना को मनरेगा योजना कहा जाता है।

इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये स्कीम के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में सम्मिलित रूप से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है।

अधिनियम में अनूसूची–1 में निर्धारित निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का सम्पादन किया जाना हैः–

(i) जल संरक्षण एवं जल संचय :

(ii) सूखा रोधी कार्य, वृक्षारोपण और वन संरक्षण सहित;

(iii) सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण;

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई का प्रसुविधा, बागवानी बगान और भूमि विकास का प्रसुविधा का उपबंधः परन्तु यह कि निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो, अर्थात् :–

(क) व्यैष्टिक भूमि स्वामी कार्य कार्ड धारक हो और परियोजना में भी कार्य कर रहा हो

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए श्रमिक सामग्री का अनुपात 60:40 में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाएगा।

(ग) परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं के वार्षिक शेल्फ का भाग होगी।

(घ) कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी और

(ड.) कोई मशीनरी क्रय नहीं की जायेगी।

(v) परंपरागत जल श्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी भी शामिल है;

(viii) गाँवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गाँवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके। सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसब से पुलिया भी बनाई जा सकती है और गांव के भीतर सड़कों के साथ–साथ नालियां भी बनाई जा सकती है;

(III) योजना का लक्ष्य –

i. ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्चपथ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अन्य ग्रामीण क्षेत्र की सड़के, गाँव के अन्दर व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से पौद्यारोपण कराने हेतू सभी विकलांग, विधवा एवं सभी अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति महिला को 100 दिनों का संमतुल्य रोजगार देने का लक्ष्य सामाजिक वानिकी में है।

ii. वन क्षेत्र को कम से कम राष्ट्रीय औसत अर्थात 23.8 पर 10.8 से लाने के लिए ।

iii. हर ग्रामपंचायत में 6000 से 7000 पौधा लगाया जाय तो 1 प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।

iv सभी स्कूल, पंचायत भवन, ग्राम सभा स्थल, सभी नदी के किनारे, बाढ़ बांध के किनारे वृक्षारोपण कर मिट्टी संरक्षण करना तथा ग्रामीण क्षेत्र का सर्वागीण विकास करना ।

v. ग्रामीण क्षेत्रो में फलदार पौधा रोपन कर ग्रामीण बच्चों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना ।

2. मनरेगा अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किये जानेवाले कार्य :–

I. कार्य की विवरणी:–

i. वन क्षेत्रों के अन्दरः–

(क) अवकृष वनों का पुनर्वास कार्य।

(ख) पूर्व के वृक्षरोपण स्थलों पर मृदा नमी संरक्षण कार्य, सुरक्षा एवं पौधों का संवर्द्धन कार्य।

(ग) वन क्षेत्रों में ट्रैंच घेरान के साथ–साथ मृदा–नमी संरक्षण कार्य।

(घ) वन क्षेत्रों के अन्दर झील, तालाब एवं अन्य छोटे जल संरक्षण संरचना का निर्माण एवं पुनरूद्धार कार्य।

(ड़) वन क्षेत्र के अंर्तगत सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।

(च) वन भूमि विकास कार्य।

(छ) वन क्षेत्र के अंतर्गत गाँवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हेतु सड़क निर्माण।

ii. वन क्षेत्रों के बाहर :–

(क) सरकारी एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन बंजर एवं खाली पड़ी भूमि पर मृदा नमी संरक्षण कार्य के साथ वृक्षारोपण।

(ख) नहर तट एवं नदी तटबंध के किनारे वृक्षारोपण कार्य।

(ग) राष्ट्रीय, राज्य एवं अन्य पथों के किनारे वृक्षारोपण।

(घ) नदी के किनारे की खाली जमीन पर वृक्षारोपण।

(ड़) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियाँ या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि पर कृषि वानिकी (फार्म फॉरेस्ट्री एवं एग्रो फॉरेस्ट्री)।

(च) पौधशाला (किसान एवं विभागीय) की स्थापना एवं वानस्पतिक खाद निर्माण।

(छ) जल संरक्षण एवं मृदा नमी संरक्षण एवं वानिकीकरण से संबंधित अन्य कार्य।

3. मनरेगा अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं योजना के क्रियान्वयन निकाय का चयन

(I) योजनाओं का चयन/अनुमोदन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन ऐजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा की मार्गनिर्देशिका, 2008 के अनुसार क्रियान्वयन निकाय के तकनिकी कार्यदक्षता संबंधी संसाधन, सासमय कार्य पूर्ण करने की क्षमता एवं इससे संबंधित प्रमाणित अनुभव के आधार पर किया जाना है जिसके लिए कार्यक्रम समन्वयक जिम्मेवार है। वृक्षारोपन की योजनाएँ प्रर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा वन क्षेत्र में क्रियानवित होने के संन्दर्भ में लाईन डिपाटमेन्ट के रूप में पर्यावरण एवं वन विभाग क्रियानवयन एजेन्सी होंगे एवं साथ में डी.एफ.ओ. (DFO) पी.ओ. (PO) की भुमिका निभाएंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा हर कार्य के लिए क्रियान्वयन निकायों का पैनल प्राथमिकता के साथ तैयार किया जाना है।

(II) अगर Shelf of Projects में वर्षा ऋतु में मौसमी व्यवहार्यता के आलोक में काम के मॉग के आकलन के अनुरूप योजनाएँ चयनित नहीं है तो जिला कार्यक्रम समन्ययक–सह–जिला पदाध्किारी का दायित्व है कि योजनाएँ के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रियाऑ का अनुपालन करते हुए पर्याप्त मात्रा में पौधारोपण संबंधी योजनाएं चयनित कराते हुए, जिला वार्षिक कार्य योजना में जोड़ते हुए प्राक्कलन तैयार करा कर तकनीकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यान्वयन निकायों को उपलब्ध करा दी जाय।(द्रष्टव्य पत्रांक 9106 दिनांक 16.07.2011 संलग्न)

(III) सभी योजनाओं का unique location code होना चाहिए ।

(IV) वृक्षारोपण संबंधी योजना पूरे पाँच वर्ष की अवधि की बनाई जायेगी जिसमें वर्षवार एवं माहवार कार्य का ब्योरा एवं आवश्यक राशि अंकित रहेगी।

(V) वन प्रमंडल कार्यालय द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों को eFMS के माध्यम से बैंक / पोस्ट ऑफिस के बचत खाता में किया जाएगा।

(VI) पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित कि जा रही योजनाओं की निरीक्षण / जाँच भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के अद्यतन मार्गनिर्देशिका तथा विभागीय निर्देश के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा।

(VII) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, मनरेगा योजना अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के अद्यतन प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भी गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं उतरोत्तर सुधार हेतु मूल्यांकन कर निर्धारित समय पर प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

4. कार्यक्रम पदाधिकारी,कनीय अभियन्ता,PTA,PRS,के कार्य

(I) कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्य

(i) इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करने हेतू ग्राम पंचायत एवं जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना ।

(ii) ग्राम पंचायत स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य तथा लाभार्थियों की मीटिंग बुलाकर एक–दूसरे से परिचय कराना तथा उनके दायित्वों एवं योजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया से सबों कों अवगत कराना ।

(iii) 50 प्रतिशत से अधिक पौधों की मृत्यु जिन–जिन योजनाओं में होती है उन योजनाओं का स्थल निरीक्षण करना एवं कारण की खोज करना तथा कीट एवं रोग से पौधों के मरने की अशंका होने पर पौधा संरक्षण विकास या बागवानी मिशन के पदाधिकारियों से तकनीकी राय लेकर उन पौधों को बदलना एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना ।

(iv) पंचायत द्वारा सामग्री एवं पौधों के क्रय के दौरान उनकी गुणवता सुनिश्चित करना ।

(v) वानिकी या बागवानी की योजना का स्थल निरीक्षण माह में कम से कम एक बार करना तथा लाभार्थियों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं एवं कठिनाईयों को समझना एवं उनका निराकरण करना ।

(II) कनीय अभियंता का कार्य

(i) जिस योजना में मृत पौधों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक हो उस योजना की विस्तृत जॉच कर प्रतिवेदन (कारण के साथ) कार्यक्रम पदाधिकारी को सौपना ।

(ii) जरूरत पड़ने पर किसी भी योजना में पंचायत रोजगार सेवक को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(iii) लाभार्थियों को लगाये गये पौधों के विषय मे ध्यान देने योग्य तथ्यों से अवगत कराना ।

(III) पंचायत तकनीकी सहायक का कार्य :—

(i) तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना ।

(ii) हर योजना को कम से कम पंद्रह दिन में एक बार जाँच करना तथा लाभार्थियों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(iii) पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा किये गये कार्यो के कार्यप्रगति प्रतिवेदन का स्थल निरीक्षण कर सत्यापित प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित करना ।

(IV) पंचायत रोजगार सेवक का कार्य :—

(i) ग्राम वासियों को वृक्षोरोपण के कार्यो की विस्तृत जानकारी देना तथा वानिकी एवं बागवानी कार्यक्रम का प्रचार—प्रसार करना ।

(ii) बागवानी के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करना एवं प्राक्कलन तैयार करना और ग्राम सभा में पारित करना ।

(iii) वानिकी का सर्वे तथा प्राक्कलन तैयार करना एवं ग्राम सभा से पारित करना

(iv) प्राक्कलन का तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना।

(v) मजदूरी का ससमय भुगतान eFMS के माध्यम से लाभार्थियों के डाकघर/बैंक के बचत खाता में जमा कराना ।

(vi) कार्यक्रम के हर योजना को सप्ताह में एक बार जाँच कर फोटो के साथ upload करना ।

(vii) अन्य कार्य जो उन्हें पूर्व से आवंटित है उनका संपादन करना ।

(viii) जहां मेट नहीं वहां मेट का दायित्व निभाना ।

5 कार्य की प्रक्रिया

(I) वन क्षेत्रों के लिएः— वन क्षेत्रों के लिए कंडिका 2. I (क) के तहत की जानेवाली योजनाओं का सूत्रण वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर पर विभागीय मानक कार्य दर के अनुसार स्थल विशेष की आवश्यकता यथा—सुरक्षा, संरक्षण, संवर्द्धन के साथ—साथ मृदा—नमी जल संरक्षण कार्य उपायों को समाहित कर किया जायेगा।

(II) वन क्षेत्र के बाहर की भूमि पर वानिकीकरण इत्यादि के लिएः—

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण होगा यदि उनके पास जॉब कार्ड उपलब्ध हो और वे स्वयं कार्य करने को तैयार हो ।

(ii) दलित—महादलित टोलों में वृक्षारोपणः—

दलित—महादलित टोलों में टोला के आसपास की जमीन पर 200 फलदार पौधा का रोपण किया जाना चाहिए। पौधों की सिंचाई के लिए एक चापाकल की व्यवस्था रहेगी एवं 200 पौधा की सुरक्षा, संरक्षण, सिंचाई, कोड़नी—निकौनी आदि कार्य के लिए 5 वर्ष तक 2 वन पोषकों को भुगतान किया जायेगा।

(iii) पथ तट, नहर तट, तटबंध, नदी के किनारे, सरकारी भूमि पर वृक्षारोपणः—

(क) राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ, नहर किनारे एवं नदी तटबंध पर वृक्षारोपण की जिम्मेवारी पर्यावरण एवं वन विभाग की है। इससे भिन्न स्थानों पर सामाजिक वानिकी अन्तर्गत वृक्षरोपण का दायित्व सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत को प्रतिनिधानित किया गया है।

(ख) जहाँ पर एक पंक्ति के लिए सड़क किनारे जमीन उपलब्ध है वहाँ पर फलदार पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी। पौधों के बीच की दूरी 6 मीटर रखी जायेगी।

(ग) जहाँ पर पर दो पंक्ति के लिए सड़क किनारे जमीन उपलब्ध है वहाँ पर प्रथम पंक्ति में लकड़ी पौधों का रोपण किया जायेगा एवं द्वितीय पंक्ति में फलदार पौधों का रोपण किया जायेगा।

(घ) तीन पंक्तियों के लिए जमीन उपलब्ध होने पर सड़क किनारे पहली पंक्ति में ओरनामेंटरल, दूसरी पंक्ति में फलदार एवं तीसरी पंक्ति में काष्टट जनित लम्बी उम्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा।

(ड़) प्रजाति का चयन स्थानीय जलवायु, मिट्टी एवं स्थल की प्रकृति के आधार पर किया जायेगा।

(च) नहर एवं नदी किनारे विशेष सतकर्त्ता के साथ व्यावसायिक एवं काष्ठ जनित पौधों का रोपण किया जायेगा। नहर एवं तटबंध की मजबूती एवं मृदा क्षरण रोकने वाली जगह पर विशेष रूप से मिट्टी पकड़ने वाले पौधों यथा बांस एवं अन्य झाड़ीदार पौधों का रोपण किया जायेगा।

(छ) नदी तल यदि निजी भूमि के तहत आता हो तो मिट्टी के कटाव एवं मृदा संरक्षण हेतू बाँस पौद्या रोपण किया जा सकता है।

(ज) बड़े पौधों के लिए 60x60x60 सेंटीमीटर तथा छोटी पौधों के लिए 30x30x30 सेंटीमीटर का पीट बनाने का प्रावधान किया जायेगा।

(झ) राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे सड़क के EDGE OF SHOULDER से 6 मीटर के बाद या सड़क के TOE के तटबंध से 1 मीटर बाद में प्रथम पंक्ति का पौधारोपण किया जायेगा।

(ट) बाढ़ संरक्षण बांध से नदी तरफ 3 मीटर पर बांस का पौधा एवं मिट्टी बांधने वाली छोटी उँचाई के झाड़ीदार पौधों को प्राथमिकता दी जायेगी। बांस रोपण के लिए 60x60x60 सेंटीमीटर का पीट खोदा जायेगा जिसके चारो किनारे पर चार पौधा तथा बीच में एक पौधा यानि प्रत्येक पीट में पाँच पौधों का रोपण किया जायेगा ताकि बांस का झाड़ जल्द स्थापित हो सके। एक पीट से दूसरे पीट की दूरी 4 मीटर रखी जायेगी।

6. व्यक्तिगत विकास हेतु बागवानी :–

(I) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची–1 कंडिका–1 स पारा–4 के अन्तर्गत यह प्रावधन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार के लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों एवं लघु एवं सिमांत किसानों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी एवं भूमि विकास सुविधा उपलब्ध है। इसी के तहत् बागवानी परियोजना विकास के लिए भूमि विकास, सिचाई की सूविधा भी कराया जा सकता है।

(II) बागवानी लगाने के लिए लाभान्वित का चयन ग्राम सभा में किया जायेगा।

(III) बागवानी हेतु लाभान्वितों की इच्छानुसार भौगोलिक स्थित के आधार पर पौधा का चयन किया जायेगा ।

(IV) इस बागवानी में अगर भूमि विकास करना चाहे, जैसे ड्रेनेज, काउंटर बांध कराना चाहे तो किया जा सकता है। इसके लिए अलग से प्राक्कलन बनाया जायेगा ।

(V) भुगतान की प्रक्रिया वहीं रहेगी जैसा सार्वजनिक भूमि के लिए प्रावधान किया गया है।

7. पौधा रोपण का समयः–

सिचाई की व्यवस्था होने पर दिसम्बर से फरवरी एवं मई से जुन छोड़ कर किसी भी समय पौधारोपण किया जा सकता है।

8. पौधा प्रजाति का चयन :—

(I) पौधा प्रजाति का चयन :— सामाजिक वानिकी / बागबानी के लिए पौधो का चयन करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। वहाँ के वातावरण, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि के अनुसार ही पौधों की प्रजातियों का चयन होना चाहिए। बागवानी मिशन के अनुसार आम, लीची, अमरूद, जामुन, शरीफा, अनार, सहजन, नींबू तथा कटहल उत्तर बिहार के लिए उपयोगी फलदार पौधा है। दक्षिण बिहार में आम, अमरूद, जामुन, सपोटा अनार, सहजन, नींबू, कटहल आदि लगा सकते है।

(II) बड़े वृक्षो से तात्पर्य निंबु, आँवला, अमरूद, शरीफा, अनार, एवं सहजन के अलावे अन्य वृक्षों से है।

(III) सभी ओरनामेन्टल वृक्ष सिवाय गुलमोहर, अशोक, अमलतास के अलावे अन्य, छोटे वृक्ष की श्रेणी में आयेंगे ।

9. वनपोषकों का भुगतान :—

(I) प्रत्येक 200 पौधों पर दो वन पोषकों को संलग्न किया जायेगा। प्रत्येक वन पोषकों को प्रत्येक माह में प्रत्येक जीवित पौधे के आलोक में 7 रूपये की राशि दी जायेगी । यह राशि प्रत्येक माह के अन्त में वनपोषकों को दी जायेगी । अर्थात, प्रत्येक वन पोषक को प्रत्येक वर्ष 200x7x12 =16800 राशि प्रदान की जायेगी । यह राशि वन पोषकों को 5 वर्षों तक दी जायेगी । उत्तर बिहार मे 90 प्रतिशत से ज्यादा पौधो के जीवित रहने पर 7 रूपये की दर से, 75–89 प्रतिशत पौधो के जीवित रहने पर 3.5 रूपये की दर से एवं 75 प्रतिशत से कम रहने पर परिवार द्वारा पौधों को नये पौधो से बदल दिया जायेगा। दक्षिण बिहार में 75 प्रतिशत से ज्यादा पौधो के जीवित रहने पर 7 रूपये की दर से, 65–74 प्रतिशत पौधो के जीवित रहने पर 3.5 रूपये की दर से एवं 65 प्रतिशत से कम रहने पर परिवार द्वारा पौधों को नये पौधो से बदल दिया जायेगा। यह 7रू0 का दर भारत सरकार से जबतक परिवर्तित नहीं होता तबतक लागू रहेगा ।

(II) प्राक्कलन (Estimate) में दिया गया दर पॉच वर्षो तक लागू रहेगा ।

10. वन पोषकों का चयन एवं दायित्व :—

(I) हर इकाई के लिए यथा संभव एक ही समुदाय का दो परिवार संलग्न रहेगा। परिवार के पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है।

(II) यथा संभव पौधारोपण जिस स्थान पर होगा उसी क्षेत्र के आसपास के परिवारों का समूह बनाना है।

(III) हर समूह में हर 6 इकाई के लिए 12 परिवारों की महिलाओं को संलग्न करना आवश्यक है। इसे जीविका के अंतर्गत अन्य योजना से अभिसरण कराया जा सकता है।

(IV) जो परिवार नियमानुसार उत्तर बिहार में 75 प्रतिशत तथा दक्षिण बिहार में 65 प्रतिशत से अधिक पौधों को जीवित नहीं रख पायेंगें उनके स्थान पर ग्राम सभा द्वारा उसी क्षेत्र/समुदाय के अन्य परिवार को रखा जायेगा।

11. (I) वन पोषक के चयन की प्रक्रिया :– इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम–सभा में किया जायेगा । अनुसुचित जाति/जनजाति की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । इनके संतृप्त (Saturate) होने के पश्चात भूमिहिन मजदूर वर्ग के लोगों को कार्य दिया जायेगा एवं इस वर्ग के लोगों के संतृप्त होने पर अन्य लोगों को कार्य में लगाया जायेगा ।

(II) इन सबो में सबसे ज्यादा प्राथमिकता विधवा, तथा विकलांग को दी जायेगी ।

(III) इन लाभार्थियों को वन पोषक के नाम से जाना जायेगा ।

(IV) वन पोषक का चयन करते समय 200 पौधों के लिए दो व्यक्तियों के समूह का चयन किया जायेगा । 200 पौधों की इकाई की देख –रेख के लिए दो वन पोषको को पॉच वर्षो के लिए संलग्न किया जायेगा ।

(V) वन पोषक का कर्त्तव्य पौधा को पॉच वर्ष तक पानी पटाना, गाछ निकालना एवं उसकी रक्षा करना आदि भी रहेगा ।

(VI) पहले पौधा रोपण को प्राक्कलन के अनुसार संबंधित वार्ड सदस्य या सरकार द्वारा चयनित अन्य एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा तथा वन पोषक को उसे शीघ्र रोपने के बाद एक सिंचाई करने के बाद ही हस्तगत करायेगा । इसमें जीवित पौधा का सत्यापन, मजदूरी एवं पौधा लगाने वाले एजेन्सी के प्रतिवेदन का सत्यापन पंचायत रोजगार सेवक से कराया जायेगा ।

(VII) पौधा–रोपण वार्ड सदस्य या विभागीय एजेन्सी द्वारा कराया जायगा अथवा पौधों की देखभाल के लिए तीन वर्षों का जो रोस्टर बनवाया गया है, उसी समूह से कार्यान्वित कराया जायेगा ।

(VII) पौधों के हस्तरान्तरन के दिन से ही वन पोषक की ड्यूटी शुरू हो जायेगी ।

(VIII) पानी ले आने और पटवन करने, खरपतवार निकालना एवं संरक्षण करने की जिम्मेवारी वन पोषक की होगी । परन्तु सिंचाई की व्यवस्था यथा संभव ग्राम पंचायत को करनी होगी । जैसे– चापाकल, कुँआ आदि जिसकी लागत योजना प्रपत्र में सम्मिलित कर देना होगा ।

12. सामग्री खरीदः–

(I) विभाग द्वारा चयनीत फैसिलिटेटर के माध्यम से सरकारी नर्सरी से पौधों का उठाव किया जायेगा एवं कार्य स्थाल तक पहुँचाया जायेगा । यदि सरकारी नर्सरी में पौधे उपलब्ध नहीं हो तो फैसिलिटेटर द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित Schedule of Rates के

आलोक में वृक्षा रोपन हेतू पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे। फैसिलिटेटर द्वारा स्वयं सहायता समुह को प्रशिक्षण देते हुए नर्सरी स्थापना में सहयोग किया जायेगा ।

(II) फैसिलिटेटर के भुगतान हेतू उनके बैंक एकाउन्ट को Freeze कर आवंटित जिले में Vendor Registration कर eFMS के माध्यम से किया जायेगा ।

13. सिंचाई व्यवस्था :–

इस योजनांतर्गत सिंचाई की व्यवस्था के लिए चापाकल लगाना है और जहाँ चापाकल नहीं गाड़ा जा सकता है, वहाँ दूर से पानी लाकर सिंचाई की व्यवस्था के साथ–साथ जीवामृत की व्यवस्था की जायेगी।

14. मेट रखने की प्रक्रियाः–

(I) 40 वनपोषकों के लिए एक मेट रखा जायेगा और मेट रखने हेतु पृथक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। इस प्राक्कलन में 40 पौधारोपण इकाई की विवरणी आवश्यक है। इसे अभिलेखों की संख्या के साथ दिया जाना है।

(II) मेट का चयन ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2007 में दिये गये दिशानिदेश एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। (annexed)

15. मेट का दायित्व :–

(I) मेट द्वारा समूह के सभी सदस्यों को निर्धारित कार्य क्षेत्र, रोस्टर की अवधी, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने हेतु कितने पौधों को जीवित रखना है, इत्यादि से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराना।

(II) प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होने के समय समस्त मजदूरों की हाजरी लेना एवं मस्टर रॉल संधारण करना तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्त्ता को मस्टर रॉल उपलब्ध कराना।

(III) प्रत्येक सप्ताह पौधो का आकलन कर फोटो के साथ upload करना ।

(IV) फस्ट–ऐड–बॉक्स रखना। FIRST AID BOX में परिवार कल्याण का सामान यथा–निरोध (कंडोम), पिल्स एवं अन्य आवश्यक दवायें जो आशा कार्यकर्त्ता के पास उपलब्ध रहता है उसे भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(V) लाभार्थियों द्वारा पौधों की समुचित रख–रखाव की प्रक्रिया यथा–खाद डालना, कीट से बचाव हेतु कीटनाशक डालना, पटवन कराना तथा मृत पौधों को बदलाव कराने पर परामर्श देना।

(VI) लाभार्थियों का डाकघर/बैंक में बचत खाता खोलवाना।

(VII) लाभूकों को समय पर भुगतान कराने हेतु वनपोषक को सहयोग करना।

(VIII) हर सप्ताह मृत पौधों के स्थान पर पौधारोपण करवाना।

(IX) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी/वनपोषक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश का अनुपालन करना।

16. पौधा की क्षति होने पर पुनः पौधारोपण करने के संबंध में:–

(I) बाढ़, सुखाड़, आपदा तथा नील गाय या अन्य प्राकृतिक प्रकोप से पौधा की क्षति होने पर उस स्थान पर पुनः पौधारोपण किया जायेगा। पुनः पौधारोपण करने के पहले क्षति का फोटोग्राफ के साथ सत्यापन वनो के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(II) पुनः पौधारोपण में जो खर्च होगा वह योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराकर वहन किया जायेगा।

(III) किसी जगह में मेट अथवा विभागीय कर्मियों की लापरवाही से कोई सड़क की दूरी या कैनाल/बाँध पर सही ढंग से पौधा नहीं लगाने पर होने वाली क्षति के लिये संबंधित व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी और ऐसी क्षति में पुनः पौधारोपण सही ढंग से संबंधित योजना स्थल पर किया जायेगा।

17. प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया :–

(I) सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पथ मेट, नहर तट, तटबंध, किसानों की जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य ग्रामीण विकास विीाग द्वारा तैयार किये गये Schedule of Rates के आधार पर किया जाएगा।

(II) वन क्षेत्रों के अंतर्गत की योजनाओं का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग के Schedule of Rates में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर किया जायेगा।

(III) हर अभिलेख में प्रशासनिक स्वीकृति देने के पहले वनपोषक का नाम लिखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) वृक्षारोपन हेतु मानक प्राक्कलन (Model Estimates) संलग्न है।

18. सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण की योजना के समाप्ति के उपरांत देखभाल किया जाना:–

इस संबंध में विस्तृत निर्देश वन संरक्षण योजना संलग्न की जा रही है। नये निर्देश के आलोक में 20 के जगह 50 पौधे वृक्ष पट्टा के रूप में प्रदान किये जाऐंगे। वन संरक्षण योजना का अन्य दिशानिदेश यथावत रहेगा।

19. विविध :–

योजना से संबंधित जानकारी एक टॉल फ्री नम्बर–1800–120–8001 डायल कर प्राप्त की जा सकती है। इस टॉल फ्री नम्बर पर काम की मांग हेतु आवेदन तथा मनरेगा संबंधी शिकायत भी ली जाती हैं।

अध्याय – 3

सामाजिक वानिकी हेतु सूचीबद्ध फैसिलीटेटर के कार्य एवं दायित्व

I फैसिलीटेटर द्वारा निम्न कार्यो को सम्पादित किया जायेगाः–

1. मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को जोड़ते हुए स्वयं सहायता समूह बनाना एवं उनके अधिकारों (entitlementes) एवं मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना ।

2. मनरेगा के तहत कार्यरत एजेंसी, यथा ग्राम पंचायतों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों के बीच सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी के लाभों /फायदो के विषय में जानकारी प्रदान करना।

3. सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी से संबंधित विभिन्न कार्यो/क्रियाकलापों का सर्वेक्षण (Survey), आयोजना (Planning), प्राक्कलन (Estimate), मूल्यांकन (Evaluation) इत्यादि हेतु व्यक्तिगत लाभुको के साथ–साथ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई को सहयोग प्रदान करना।

4. अच्छी गुणवतायुक्त पौधों एवं अन्य तत्वों को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा तय किए गए दर पर प्रदान करना ।

5. स्वयं सहायता समूहो को नर्सरी स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण एवं नर्सरी की स्थापना में सहयोग करना, तथा इनके द्वारा उत्पादित पौधों को ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी से संबद्ध कर विभाग द्वारा निर्धारित दर पर खरीदने की व्यवस्था मनरेगा नियमों के तहत करना।

6. इच्छुक लाभार्थियों का नाम मनरेगा के अंतर्गत जोड़ना एवं उन्हें जॉब कार्ड प्रदान करते हुए बैंक/पोस्ट ऑफिस के साथ संबद्ध करना ।

7. इच्छुक जॉबकार्डधारियों को रोजगार/काम की मांग का रजिस्ट्रेशन करवाना ।

8. वृक्षारोपण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं पाँच वर्षों के लिए रख रखाव हेतु प्राशिक्षित करना।

9. उपस्थिति बनवाने में, मापी करने में, एम0आई0एस0 (MIS) अद्यतन कराने में, बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान कराने में एवं रिर्पोटिंग में सहयोग प्रदान करना ।

10. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रदत GIS मैपिंग सुविधा एवं अन्य अनुश्रवण तकनीकों को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना।

11. वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत पौधों के वितरण (वृक्ष पट्टा) में सहयोग करना एवं विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार लाभार्थियों को वृक्ष पट्टा के लाभ लेने में सहयोग प्रदान करना ।

12. उत्पादो को सीधे बाजार एवं खाद्य प्रसंस्करण/बायोडिजल निष्कर्षण उद्योगों से संबद्ध करना एवं विभाग के द्वारा निर्धारित न्युनतम समर्थन मूल्य पर व्यक्तिगत लाभार्थियों को उत्पाद को खरीदने की व्यवस्था करना ।

13. व्यक्तिगत लाभार्थियों, परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मनरेगा क्रियावन्यन से संबद्ध लोगों का मोडयूल (Module) आधारित प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन करना ।

14. मजदूरों, खासकर वैसी महिला मजदूर जो स्वयं सहायता समूह से जूड़ी हो, उन्हें मनरेगा के साथ–साथ अन्य जीविकोपार्जन कार्यक्रम के साथ संबंद्ध करना ।

15. जिला, प्रखंण्ड एवं ग्राम पंचायतो में मनरेगा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ सहयोग करना ।

16. वितीय एवं भौतिक प्रगति से संबंधित विभिन्न अनुश्रवण रिर्पोट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

17. फैसिलिटेटर का यह दायित्व होगा कि वो अपेक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराऐगे ताकि उपर वर्णित कार्यो का निर्वहन हो सके । इस हेतु प्रत्येक प्रखण्ड को एक क्लस्टर इंकाई के रूप में माना जाएगा ।

18. वर्ष 2012–13 तक की गयी वृक्षारोपण के सभी योजनाओं को बन्द कराकर उन पौधों को वृक्ष संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों को दिया जाना (पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत 20–20 पौधा दिया जा रहा था उन परिवारों को 20 पौधों की जगह में 50 पौधा दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा) ।

19. वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–2015 में वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बन्द कराकर उन सभी योजनाओं को पुनः नये दिशा–निदेश के अनुसार नये रेकर्डस खोलते हुए चार वनपोषक के स्थान पर दो वनपोषक को सम्बद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस दरम्यान पूर्व में दिये गये दिशा–निदेश के अनुसार एक बड़ा पौधा से दूसरा बड़ा पौधे की दूरी छः मीटर होना चाहिए तथा इन दो बड़े पौधों के बीच में एक छोटी किन्तु फलदार वृक्ष लगाने हेतु दिशा–निर्देश दिया गया था। इस दिशा–निर्देश का पालन नहीं किया गया तो ऐसे योजनाओं में एक पौधा से दूसरे पौधों की बीच की दूरी बनाये रखने हेतु thinning किया जाए। छोटे पौधे का अर्थ ऑवला, अनार एवं नींबू अन्य सभी फलदार एवं लकड़ी वाले पौधें को बड़े पेड़ की श्रेणी में रखा जाएगा

II फैसिलिटेटर के भुगतान के संबंध में :–

हर सामाजिक वानिकी योजना जो सार्वजनिक या निजी भूमि पर क्रियान्वित होगी, उसके आकस्मिकता मद में जो राशि निर्धारित होगी उस राशि को 5x12=60 किश्तों में बांटकर हर माह 10 तारीख के पहले फैसिलिटेटर के बैंक खाते में उनके द्वारा सम्पादित कार्य के सत्यापन के पश्चात स्थानांतरित कर दिया जायेगा ।

मानदेय का उदाहरण – सामाजिक वानिकी के तहत सरकारी जमीन पर फलदार पौधे की खेती के लिए मानक प्राक्कलन (1 यूनिट = 200 पौधे) यदि 2,31,222 है तो उसमें योजना का 2 प्रतिशत अर्थात 4534 राशि आकस्मिकता मद की भी सन्निहित है। अतः फैसिलिटेटर को उनके खाते में प्रत्येक माह के 10 तारीख के पहले कुल 4534 / 60=75.57 राशि जमा कर दी जायेगी ।

पत्रांक–.ग्रा0वि0–7(सा0वा0)–08 / 2014 / – 215360

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रमय समन्वयक /
उप विकास आयुक्त–सह–जिला अपर कार्यक्रम समन्वयक /
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषयः–मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी का कार्यान्वयन Facilitater के सहयोग से कराने के संदर्भ में दिशा–निदेश।

प्रसंगः–ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–11017 / 17 / 2008–NREGA(UN) (Part-II), Dated-31 July, 2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में मुखिया स्तर पर जो भी पौधारोपण का कार्य कराया जा रहा था उसके कियान्वयन के कम में कई कमियॉ उजागर हुयी हैं यथा–पौधे की गुणवत्ता का ठीक न होना, एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की आदर्श दूरी को मेंटेन (Maintain) नहीं करना एवं पौधा को लक्ष्य समूह के साथ संलग्न करने के संदर्भ में इत्यादि। इन कमियों को दूर करने के संबंध में उच्च स्तर पर आयोजित बैठक में, लिये गये निर्णय के अनुसार सभी ग्राम पंचायत में Facilitator के सहयोग से ही सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है। Facilitator को ग्राम पंचायत के साथ सम्बद्ध करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–J-11011 / 1 / 2014–RE.I, दिनांक 04 September, 2014 के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नांकित दिशा–निदेश दिया जाता है :–

(i) इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु विस्तृत दिशा–निदेश अर्थात् (SOP) बनाया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है। SOP के सभी बिन्दुओं का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को कार्यान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप जितनी राशि की अनुमान्यता पक्का कार्य कराने के लिए उपलब्ध होगी उस राशि से यथा–संभव शौचालय एवं महादलित टोला के लिए पहुँच पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करया जाएगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2012–13 तक जो भी योजना सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया ली गयी है, उसके अभिलेख को बंद करते हुए, उन पौधों को वन संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ एक परिवार के साथ संलग्न किया जाए। पूर्व में यदि एक परिवार को 20 वृक्ष दिया गया है तो वैसे परिवारों को 20 वृक्ष के अलावे 30 वृक्ष अतिरिक्त अर्थात कुल 50 वृक्ष दिया जाए। इस कार्यक्रम में सभी Facilitator का उपयोग कर कार्य को कराया जाए। इसके लिए Facilitator को अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(iv) वर्ष 2013–14 में जो भी पौधारोपण अब तक किया गया है उसके अभिलेख को बंद करते हुए अद्यतन दिशा–निदेश के अनुसार 200 पेड़ के लिए दो परिवारों को संलग्न किया जाए। संलग्न करने के समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अनुमान्य दूरी से कम हो तो न्यूनतम दूरी को दृष्टिपथ में रखते हुए अलग से थीनिंग (Thinning) करते हुए वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार अभिलेख खोला जाए और यदि इन योजनाओं में निर्धारित मांपदंड के अनुरूप पौधारोपण का कार्य नहीं किया गया हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पौधारोपण के समय एक बड़े पौधे से दूसरे बड़े पौधे की दूरी छः मीटर के बीच में एक छोटा फलदार पौधा का प्रावधान विस्तृत दिशा–निदेश में किया गया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि दो बड़े पौधों के बीच में एक छोटा फलदार पौधा लगाया जाए। इस कार्यक्रम में सभी Facilitator का उपयोग कर कार्य को कराया जाएगा। इसके लिए Facilitator को अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और यह कार्य फरवरी, 2015 के अन्दर पूर्ण कराया जाय ।

(v) इस क्रम में जो नए अभिलेख खोले जाएंगें उसमें योजना के क्रियान्वयन तिथि से अब तक की अवधि को पॉच वर्षो की अवधि से घटाकर वृक्ष संरक्षण योजना के तहत् संरक्षण हेतु प्रत्येक 200 पौधे के लिए दो परिवार के साथ संलग्न किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि कोई योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 की है तो अब उसे मात्र तीन वर्षो के लिए संलग्न किया जायेगा।

(vi) Facilitator के द्वारा किये गये कार्यों को करने का खर्च प्रत्येक योजना के अन्तर्गत दो प्रतिशत आकस्मिक निधि के द्वारा वहन किया जाएगा एवं इसका भुगतान पॉच साल तक बराबर मात्रा में बॉटकर प्रत्येक महीना उनके कार्य के प्रगति के आधार पर किया जायेगा।

(3) सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पहली प्राथमिकता सभी निःसक्त (Differently abled) व्यक्ति रहेंगे, दूसरी प्राथमिकता सभी समुदाय के विधवा एवं तीसरी प्राथमिकता सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ रहेंगी। तद्नुसार इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

(4) Facilitator की यह भी जिम्मेवारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी महिला कार्य करेंगी उन महिलाओं का, कम–से–कम 12 महिलाओं का समुदायवार स्वयं सहायता समूह बनाकर जीविका संस्था के योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, ताकि इन महिलाओं को अन्य जीविकोपार्जन का भी लाभ मिल सके।

(5) इस परियोजना के लिए एक प्रोजेक्ट मेनेजमैंट यूनिट का सृजन किया गया है जिसके नोडल पदाधिकारी श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को बनाया गया है जिनका मोबाईल नं0–9431818387 है। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू) 7.1.15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 215 369 पटना, दिनांक– 07 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

7.1.15

No. [illegible]

Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 29th December, 2014.

To
The Spl CSs/Prl Secretaries/Secretaries of Rural Development (MGNREGS)

Subject: Plantation and maintenance of trees producing oilseeds- regarding

Sir/Madam,

One of the approved works as per the revised Schedule I, Para 4 (1) of the MGNREGA is " Afforestation, tree plantation, and horticulture in common and forest lands, road margins, canal bunds, tank foreshores and coastal belts duly providing right to usufruct to the households covered in Paragraph 5"

2. Ministry of Agriculture has identified & recommended 11 major tree borne oilseeds (TBOs), namely, Simarouba, Mahua, Cheura, Kokum, Olive, Neem, Jatropha, Jajoba, Tung, Wild Apricot and Karanja. The plantation of these trees can be taken up on wastelands degraded forest lands.

3. In addition to reduction of dependence on imports of oil, increasing green cover and reclaiming degraded lands, this intervention would also help in improving the livelihoods of the scheduled tribes, who are traditionally engaged in collecting tree borne oilseeds to supplement their income.

4. It is advised that the plantation and maintenance of these tree species may be taken up under MGNREGA as per MGNREGA processes, looking at the suitability of the species to the selected area & availability of forward linkages i.e. processing, market of oil seed etc. For technical and other guidance on plantation &maintenanceof these tree species& availability of forward linkage, local agriculture or forest department may be contacted.

5. All the States are requested to communicate these advisory to all their field functionaries for ensuring plantation of these species of trees and work out local action plans.

Yours faithfully

29/12

(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary (MGNREGA)

Copy to: i) The Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhavan, New- Delhi in reference to his D.O. letter No. 2-2/2014-TBO/OS, dated 12th December, 2014, for information.
ii) PPS to Secretary, RD/ PPS to Special Secretary, RD/ PPS to JS (RE-I)/PS to JS (RE-II) **iii)** Sr Tech Director NIC, MORD- for placing in Ministry's website

F.No. J-11011/1/2014-RE.I
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(MGNREGA Division)

.....

Krishi Bhavan, New Delhi,
Dated: 04th September, 2014

To

Shri S.M. Raju,
Secretary,
Panchayat & Rural Development Department,
Bihar State.

Subject: **Roadside Plantation**

Ref: Your email dated 5th August, 2014.

Sir,

With reference to your proposal for using facilitating agencies in plantation work, a suitable decision based on local requirements may be taken by the State Government within the overall framework of Schedule I and II. The cost, if any, for such a facilitation shall be met from the Administrative cost.

Yours sincerely,

(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary, MGNREGA
Tel: 011 2338 5027

No. 11017/41/2012- MGNREGA (UN) (Pt-II)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 17th September, 2014.

To
The Spl CSs/Prl Secretaries/Secretaries of Rural Development (In charge- MGNREGS)

Subject: Clarification on MGNREGA works directly linked to agriculture and allied activities through development of land, water and trees.

Sir/Madam,

The Sub Para (1)of Paragraph 4 of Schedule I of MGNREGA modified as on 21st July, 2014, lays down that "Provided that the District Programme Coordinator shall ensure that at least 60% of the works to be taken up in a district in terms of cost shall be for creation of productive asset directly linked to agriculture and allied activities through development of land, water and trees".

2. It is necessary for all States to monitor the works sanctioned in the districts so that investments as per the Statute are made for improving productivity of agriculture and allied activities. To clarify the matters further, the works that are directly linked to agriculture and allied activities are listed in the Annexure.

3. You are requested to disseminate this widely and specifically to functionaries of MGNREGS; and ensure that the provisions of the Schedule are followed without fail.

Yours faithfully

(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary MGNREGA

MGNREGA WORKS DIRECTLY LINKED TO AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

CATEGORY OF WORKS AS PER SCHEDULE-1, MGNREGA	AS PER SCHEDULE-1, MGNREGA, WORKS PERMITTED UNDER MGNREGA
(1)	**(2)**
I. Category: A:**PUBLIC WORKS RELATING TO NATURAL RESOURCES MANAGEMENT**	(i) **Water conservation** and water harvesting structures to augment and improve groundwater like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams with special focus on recharging ground water including drinking water sources; (ii) **Watershed management works** such as contour trenches, terracing, contour bunds, boulder checks, gabion structures and spring shed development resulting in a comprehensive treatment of a watershed; (iii)Micro and minor irrigation works and creation, renovation and maintenance of **irrigation** canals and drains; (iv) Renovation of **traditional water bodies** including desilting of irrigation tanks and other water bodies; (v) **Afforestation,** tree plantation and horticulture in common and forest lands, road margins, canal bunds, tank foreshores and coastal belts duly providing right to usufruct to the households covered in Paragraph 5; and (vi) Land development works in common land.
II.Category B: **COMMUNITY ASSETS OR INDIVIDUAL ASSETS**	(i) **Improving productivity of lands** of households specified in Paragraph 5 through land development and by providing suitable infrastructure for irrigation including dug wells, farm ponds and other water harvesting structures; (ii)**Improving livelihoods through** horticulture, sericulture, plantation, and farm forestry; (iii) **Development of fallow or waste lands**of households defined in Paragraph 5 to bring it under cultivation;
	(v)Creating infrastructure for **promotion of livestock**such as poultry shelter, goat shelter, piggery shelter, cattle shelter and fodder troughs for cattle; and (vi)Creating infrastructure for **promotion of fisheries** such as, fish drying yards, storage facilities, and promotion of fisheries in seasonal water bodies on public land;
III.Category C:**COMMON INFRASTRUCTURE INCLUDING FOR NRLM COMPLIANT SELF HELP GROUPS**	(i)Works for promoting **agricultural productivity**by creating durable **infrastructure required for bio-fertilizers** and post-harvest facilities including pucca storage facilities for agricultural produce;
	(vi)Construction of **Food Grain Storage Structures** for implementing the provisions of The National Food Security Act 2013 (20 of 2013);

CA1-168235/14

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– BRRDA(HQ)-PMGSY-107/2012-4050 /पटना,दिनांक–19.09.14

प्रेषक,

डा0 एस0 सिद्धार्थ,
सचिव।

सेवा में,

श्री एस0एम0 राजू,
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

विषयः राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथों के फ्लैंक में "MGNREGA" कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण के संबंध में।

प्रसंगः (i) **दिनांक– 11.09.2014 को निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सम्पन्न** Video Conference.

(ii) **विभागीय प्रत्रांक– 3769 दिनांक– 05.09.2014।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक– 11.09.2014 को सयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में Video Conference प्रस्तावित था। परन्तु पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारम्भ हुए Video Conference में श्री पी0 मनोज कुमार (निदेशक), एवं श्री वाई0 एस0 द्विवेदी (निदेशक), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भाग लिया गया, Video Conference में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित पथों के फ्लैंक पर वृक्षारोपण विषय पर चर्चा की गयी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नांकित ऑकड़ों की मांग की गयी है :–

(iii) वृक्षारोपण हेतु पात्र पथों (भूमि की उपलब्धता के आधार पर) की लम्बाई।
(iv) वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधों की संख्या।

सम्प्रति आपके विभाग द्वारा पूर्व से MGNREGA कार्यक्रम अन्तर्गत बड़े पैमाने पर पथों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। इस क्रम में वृक्षारोपण से संबंधित आपके विभाग में उपलब्ध निम्नांकित आँकड़े ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :–

(v) पथ का नाम, जिनके किनारे वृक्षारोपण किया गया है।
(vi) पथ की लम्बाई।
(vii) पौधों की संख्या।
(viii) वित्तीय वर्ष 2014–15 में वृक्षारोपण के लिए बजट प्रावधान।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु अपने स्तर अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संयुक्त समीक्षा बैठक निर्धारित की जाये ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 10 दिनों के अन्दर वांछित सूचना भेजी जा सके।

विश्वासभाजन

18/9/2014
(एस0 सिद्धार्थ)
सचिव

CN-217245/14

No. 11011/1/2014-RE-1 MGNREGA (UN)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 14 November, 2014

To,

The Principal Secretary/Secretary,
Department of Rural Development,
Government of Andhra Pradesh/ Bihar/ Rajasthan/ Madhya Pradesh/ Uttar Pradesh/ Jammu & Kashmir/ Kerala/ Maharashtra/ Assam/ Tamil Nadu/ Punjab and West Bengal

Subject:- Information on National Highway stretch available for roadside tree plantation as provided by NHAI.

Sir/Madam,

This is in continuation with the action plan issued by MoRD to all States/UTs, vide No. 11017/17/2008—NREGA (UN) (Part-II), dated 31st July 2014, for road side tree plantation under MGNREGA. The road side available for tree plantation on National Highways as provided by National Highway Authority of India (NHAI) is hereby circulated to all the concerned States for roadside tree plantation, following all MGNREGA processes and non-negotiable. For any query can contact b72abraham@gmail.com

Action taken in this regard may be informed to the Ministry at the earliest.

Encl: As above

Yours faithfully

(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary, (MGNREGA)

14/11/14

BIHAR

National Highways Authority of India
Regional Office, Patna

Format for compiling information on highway stretches available for Plantations

Name of the State	Name of the PIU	Name of the Highway stretch /Project	Length of ROW available for plantation (Km)		Average width of ROW available for plantation (m)		Area (ha)	Likely no. of plants
			LHS	RHS	LHS	RHS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bihar	Darbhanga	Rehabilitation & Up-gradation to 4/6 Lane Divided Carriageway Configuration from km. 37.75 to km. 69.8 of Beninad-Darbhanga Section of NH-57 in the State of Bihar Under Phase-II (Package –C-II/BR-2)	7.00	6.50	8.00	18.00	17.55	6,750
	Patna	4-laning of Patna-Bakhtiyarpur section of NH-30 from Km 180+300 to Km 231+950 in the state of Bihar under NHDP Phase III (DBFOT) Toll basis	36.00	36.00	5.00	5.00	36	12,000
	Muzaffarpur	4-Laning of Km 360.915 to Km 402.000, Bathnakuti UP Section of NH-28 (WB)-09	38.00	30.00	9.00	9.00	61.2	34,000
	Muzaffarpur	4-Laning of Km 402.000 to 440.00, Devapur to Kotwa Section of NH-28 (WB)-10	28.00	28.00	9.00	9.00	50.4	28,000
	Muzaffarpur	4-Laning of Km 440.000 to 480.00, Kotwa to Mahesi Section of NH-28 (WB)-11	30.00	30.00	9.00	9.00	54	30,000
	Muzaffarpur	4-Laning of Km 480.000 to 520.00, Mahesi to Muzaffarpur Section of NH-28 (WB)-12	30.00	30.00	9.00	9.00	54	30,000
	Muzaffarpur	4-Laning of Km 0.00 to 37.750 Muzaffarpur Darbhanga (Benibad) Section of NH-57 (C-II/BR-09)	28.00	28.00	12.00	12.00	67.2	28,000
	Muzaffarpur	2-Laning of Km 519.600 to Km 627.000 of Muzaffarpur-Barauni section of NH-28	80.00	80.00	13.00	13.00	208	80,000
	Muzaffarpur	2-Laning of km 0.00 to km 89.00 Muzaffarpur-Sonbarsa Section of NH-77	62.00	62.00	15.00	15.00	186	62,000
	Muzaffarpur	2-Laning of km 0.00 to km 62.064 and 7.33 km Raxaul Bypass, Piprakothi to Raxaulof NH-28A	49.00	49.00	12.50	12.50	122.5	49,000
	PIU-Purnea	4-Laning of Km. 230.00 to 190.00 of Forbesganj to Simrahi Section of NH-57 (C-II/BR-03)	17.30	17.30	10.00	9.80	34.254	17,300
		4-Laning of Km. 174.382 to 159.357 of Simrahi to Kosi Bund Section of NH-57 (C-II/BR-04)	2.00	2.00	9.80	9.70	3.9	2,000
	Varanasi	6-L Varanasi Aurangabad Section (Km. 786 to Km.978.4) of NH-2	0				0	0
	Begusarai	NIL					0	0
	Gaya	NIL					0	0
	Hajipur	NIL					0	0
			407.30	398.80			895.004	3,79,050

बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- पटना, दिनांक:-

ग्रा0वि0-7(समन्वयन)18/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>

<u>सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>

बिहार ।

विषय:- **मनरेगा एवं रेल मंत्रालय के बीच अभिसरण के संबंध में।**

सन्दर्भ :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक J-11017/42/2013-MGNREGA (UN) दिनांक 26.09.2014 ।

महाशय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के माध्यम से मनरेगा एवं रेलवे के बीच अभिसरण के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों एवं गतिविधियों को कराये जाने का सुझाव दिया गया है :-

(क) लेवल क्रॉसिंग के लिये पहुंच सडकों का निर्माण एवं रख-रखाव ;

(ख) रेलवे स्टेशन तक पहुंच सडकों का निर्माण एवं रख-रखाव ;

(ग) रेलवे ट्रैक के साथ silted खाइयों एवं नालियों का विकास एवं साफ-सफाई ;

(घ) मौजूदा रेलवे तटबंधों / कटिंग को वनस्पति विकास के समाशोधन के साथ मिट्टी-खोदाई द्वारा मरम्मत ;

(ङ) वैसे जगह जहाँ रेलवे की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उस भूमि की सीमा के अंतिम छोर पर पौधारोपण ।

अभिसरण द्वारा इन कार्यों का क्रियान्वयन निम्नलिखित दिशानिर्देश के तहत कराया जायेगा :-

i. सभी कार्य सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा ।

ii. कंडिका (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पचायत द्वारा कराया जायेगा तथा कंडिका (ग), (घ) एवं (ङ) में उल्लेखित कार्यों का क्रियान्वयन सरकार के विनिर्दिष्ट विभागों या संबंधित लाइन विभाग से कराया जायेगा ।

iii. इन सभी कार्यों में सामग्री भाग का भुगतान रेलवे द्वारा तथा मजदूरी भाग का भुगतान मनरेगा द्वारा किया जायेगा ।

IV. रेलवे के भूमि की सीमा के छोर पर वृक्षारोपण के मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश जिसमें सडक के किनारे पौधारोपण में पौधों के उपयोग का अधिकार लाभूकों को दिये जाने से संबंधित दिशानिर्देश उल्लेखित है, का निश्चित रुप से पालन किया जाय ।

V. उपरोक्त कार्यो की परियोजनाएँ/ मानक प्राक्कलन तैयार करने के लिये डिवीजन में रेलवे के अधिकारी मनरेगा के माध्यम से कार्यो के क्रियान्वयन में अपने योगदान (वित्तीय) का संकेत देंगे तथा रेलवे द्वारा दिये गये वित्तीय अंश का अलग खाते में रखरखाव करेंगे ।

VI. मनरेगा के सभी प्रक्रियाओं / अपरक्राम्य (non-negotiable) का पालन किया जायेगा । यथा, ग्राम सभा में योजनाओं/ कार्यों का अनुमोदन जहाँ ग्राम पंचायत कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) है एवं जिला परिषद का अनुमोदन जहाँ लाईन विभाग PIA है, जॉबकार्डधारी द्वारा कार्य किया जाना, कॉन्ट्रैक्टर अथवा मशीन का उपयोग नहीं करना, श्रम एवं सामग्री का अनुपात क्रमशः 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर (जहाँ ग्राम पंचायत PIA है) एवं जिला स्तर पर (जहाँ लाईन विभाग PIA है), निर्वहन करना, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही इत्यादि ।

VII. कार्यो की तकनीकी डिजाईन तैयार करने, मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचयत द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यो की तकनीकी योजना, रेखाचित्र/ प्राक्कलन एवं कार्यों को धरातल पर लाने का lay-out उपलब्ध कराने तथा कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित/ अनुश्रवण करने में रेलवे के संबंधित अधिकारी जिला प्रशासन की मदद करेंगे ।

VIII. इन सभी कार्यों की प्राशासनिक स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दी जायेगी । तकनीकी स्वीकृति कार्यान्वयन एजेंसी के सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी ।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि मनरेगा एवं रेलवे के बीच उपर्युक्त अभिसरण के संचालन हेतु जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक / उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर रेलवे एवं मनरेगा के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर लिया जाय तथा अभिसरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को विभाग के साथ साझा किया जाय ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एम0 एम0 राजू)
सचिव । 23/1/14

No. J-11017/42/2013-MGNREGA (UN)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
MGNREGA Division

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: the 26th September, 2014

To

The Spl CS/ Principal Secretary/ Secretary (in-charge of MGNREGA) of all States/ UTs

Subject: Advisory on convergence of MGNREGS and Railways.

Madam/ Sir,

In accordance with the inter-ministerial consultation with the Ministry of Railways and the provisions of the Paragraph 4 (1)I(v) & IV. (ii) of Schedule-I, MGNREGA and Para 7.3.7 of the Operational Guidelines, 2013, following works & activities can be taken up in convergence with Railways:

(a) Construction and maintenance of approach roads for level crossings;
(b) Construction and maintenance of approach roads to railway stations;
(c) Developing and cleaning silted waterways, trenches and drains along the track;
(d) Repairs of earthwork to the existing railway embankments/cuttings with clearing of vegetation growth;
(e) Plantation of trees at extreme boundary of railway land at such location, where sufficient land is available.

2. This convergence shall be implemented as per the following guidelines:
   a. All these works will be carried out only in rural areas.
   b. For works above at (a) and (b) the GP will be the implementing agency; and for works at (c) to (e) the line department or the designated Department of the State Government will be the implementing agency.
   c. Railways will meet the cost of material component in all these works and the labour component will be met from MGNREGS.
   d. In case of plantation of trees on railway margins it will be ensured that the guidelines issued regarding tree plantation on road margins by this Department consisting of assigning the usufruct of the trees to beneficiaries shall necessarily be followed.

e. While preparing projects/ estimates for the aforesaid works, the officials of Railways in the Division would indicate their contribution (financial) in executing the works through MGNREGA and maintain separate account of the financial share contributed by Railways.

f. All processes and non-negotiables of MGNREGA would apply (i.e. approval of projects/ works from Gram Sabha for works for which GPs are PIAs and from District Panchayat for works for which line department is PIA. Execution of works through job card holders, non-engagement of contractors and labour displacement machines, maintenance of labour material ratio 60:40 at GP level where GP is PIA and at District level, where Line Department is PIA, social audit, transparency and accountability etc.)

g. The technical officials of Railways concerned would assist the district administration in preparing the technical designs, drawings/estimates and giving layout of the works to be executed by the GP under MGNREGA; and will ensure/ monitor quality of works.

h. The administrative sanction of all these works will be issued by the respective District Programme Coordinator (DPC), MGNREGA. Technical Sanction will be issued by the competent authority of PIA.

3. The District Administration and the Railway officials concerned shall have joint meeting, to operationalise the above convergence.

Yours faithfully,

(R Subrahmanyam)
Joint Secretary (RE)

Copy to:

i) The General Manager, Shri Alok Kumar, Executive Director/ Civil Engineering (G), Ministry of Railways.

Facilitator & Their Allotted Districts

Sl. No.	District	Agency
1.	Araria	TRY
2.	Arwal	Sanmat
3.	Aurangabad	CMX
4.	Banka	Green Leaf
5.	Begusarai	Bhavishya
6.	Bhagalpur	Bhavishya
7.	Bhojpur	Prakriti
8.	Buxar	Prakriti
9.	Darbhanga	Sanmat
10.	East Champaran	TRY
11.	Gaya	Green Leaf
12.	Gopalganj	CMX
13.	Jamui	Green Leaf
14.	Jehanabad	Sanmat
15.	Kaimur	Prakriti
16.	Katihar	CMX
17.	Khagaria	CMX
18.	Kishanganj	Jahanvi
19.	Lakhisarai	Green Leaf
20.	Madhepura	Bhavishya
21.	Madhubani	Sanmat
22.	Munger	Green Leaf
23.	Muzaffarpur	TRY
24.	Nalanda	Bhavishya
25.	Nawada	Green Leaf
26.	Patna	CMX
27.	Purnea	Jahanvi
28.	Rohtas	Prakriti
29.	Saharsa	Green Leaf
30.	Samastipur	Jahanvi
31.	Saran	Prakriti
32.	Shiekhpura	Green Leaf
33.	Sheohar	Sanmat
34.	Sitamarhi	Sanmat
35.	Siwan	CMX
36.	Supaul	Green Leaf
37.	Vaishali	CMX
38.	West Champaran	Sanmat

वृक्ष संरक्षण योजना अंतर्गत मनरेगा वृक्षारोपण के वनपोषक हेतु आवेदन पत्र

(1) आवेदक का नाम –

(2) पिता / पति / पत्नि का नाम–

(3) आवेदन की श्रेणी (महादलित / अनु0जनजाति / अन्य)
जाति –

(4) पता –

(5) इच्छित स्थल का व्यौरा –
स्थल का नाम:
चौहद्दी: उ0: द0
पू0: प0

(6) बी0पी0एल पंजीकरण संख्या

(7) बी0पी0एल का स्कोर

(8) नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं पता –

(9) जॉब कार्ड नम्बर

(10) आधार / बैंक एकाउन्ट नम्बर

(11) अभ्युक्ति –

मैं प्रमाणित करता हुं कि उपरोक्त सूचनायें सही है, मैं वनपोषक बनना चाहता हूं। मैने पौधो के रख रखाव से संबंधित सभी शर्त्तो की जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं उनका पालन करते हुए पौधों का रखरखाव करूंगा।

तिथि: आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद क्रम संख्या.....

.....पिता.....पत्नी.....

पता.....द्वारा.....

स्थल के लिए आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

मनरेगा वृक्ष संरक्षण आवंटन पत्र

यह आवंटन पत्र निम्नांकित व्यक्ति को विहित शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1. व्यक्ति का नाम –
2. पिता / पति / पत्नि का नाम –
3. आवेदक की श्रेणी (महादलित / अनु0जनजाति / अन्य) –

   जाति
4. पता –
5. स्थल का ब्योरा –

   स्थल का नाम :

   चौहद्दी: उ0: द0:

   पू0: प0
6. बी0पी0एल पंजीकरण संख्या
7. बी0पी0एल का स्कोर
8. नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं पता –
9. जॉब कार्ड नम्बर
10. आधार / बैंक एकाउन्ट नम्बर
11. नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं पता –
12. अभ्युक्ति –

तिथि:

अनुलग्नक: (विहित शर्ते)

पंचायत रोजगार सेवक
का नाम एवं हस्ताक्षर

वनपोषक बनने के शर्ते

1. वनपोषक को अपने निवास के ग्राम के राजस्व सीमा के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।

2. यह आवेदन गैर निजी भूमि पर मनरेगा अन्तर्गत किये गये उस वृक्षारोपण तक सीमित होगा जो अधिसूचित वनभूमि अथवा ''जंगल–झाड़'' के रूप में दर्ज नहीं हो । यह मार्गदर्शिका गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, पंचायती राज संस्थाओं की भूमि, नहर तट, बॉध तट, ग्रामीण पथ एवं अन्य जिला पथों के उन सभी वृक्षारोपण पर लागू होगी, जहां मनरेगा के तहत वृक्षारोपण किया गया हो अथवा आगे किया जायेगा।

3. वृक्षारोपण स्थल से दूरी के आधार पर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदकों के निवास की दूरी समान होने पर महादलित, अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर)/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परिवारों को इसी प्राथमिकता क्रम में योजना में शामिल होने के लिए वरीयता दी जायेगी। संबंधित श्रेणी के अंतर्गत बी0पी0एल0 स्कोर (बढ़ते क्रम में) प्राथमिकता निर्धारण का आधार होगा।

4. मनरेगा के पौधों को यथासंभव लाभुक परिवार की महिला सदस्य को आवंटित किया जायेगा, महिला सदस्य नहीं रहने पर पुरूष जो घर का प्रधान होगा उसे लाभुक बनाया जायेगा तथा ऐसे व्यक्ति को '' वनपोषक '' कहा जायेगा।

5. वनपोषक को इस योजना का लाभ लेने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

6. वनपोषक द्वारा लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में यह ध्यान रखना होगा कि वृक्ष की बढ़त और उसके उत्तरजीविता पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़े और अंतिम रूप से वृक्षों के विदोहन के क्रम में सभी सामान्य सतर्कता सुनिश्चित किया जाय।

7. जिस भूमि पर अवस्थित वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण का दायित्व वनपोषक को दिया गया हो, उस भूमि पर उसका स्वामित्व का कोई भी दावा नहीं बनेगा और भूमि का स्वामित्व यथावत मूलरूप के अनुसार रहेगा।

8. एक परिवार को सामान्य तौर पर वृक्षों की एक इकाई का आवंटन किया जायेगा जिसमें सामान्यतः 50 पौधे होंगे,

9. वनपोषक का चयन विहित प्रक्रिया से ग्राम सभा द्वारा संबंधित भू–धारक प्राधिकार (जहां लागू हो) के सहमति से किया जायेगा तथा आवंटियों को विहित प्रपत्र में ''मनरेगा वृक्ष संरक्षण आवंटन पत्र'' दिया जायेगा।

10. वनपोषक द्वारा अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारी का हस्तानान्तरण नामित उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता ।

11. वनपोषक यदि वृक्षों को काटकर या अन्य किसी प्रकार नुकसान में दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आवंटन पहुँचाकर कोई अप्राधिकृत लाभ प्राप्त करते हैं तो उनके विरूद्ध **IPC** की सुसंगत धाराओं को रदृ किया जायेगा।

12. वनपोषक को आवंटन अवधि में आवंटित इकाइयों के वृक्षों पर ही अधिकार होगा और इन अधिकारों के प्रयोग करने में वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

13. वृक्ष से प्राप्त होने वाले फल,सूखा–जलावन, चारा, फूल आदि उत्पादों पर (बगैर वृक्ष विदोहन किये) वनपोषक का अधिकार होगा।

14. आवंटित ईकाई में अवस्थित वृक्षों के रोटशन का निर्धारण प्रारम्भ में ही किया जायेगा। इस अवधी के बाद वनपोषक द्वारा स्वतः इन वृक्षों का विदोहन किया जा सकेगा। विदोहन से प्राप्त सम्पूर्ण राशि पर वनपोषक का अधिकार होगा। इसकी सूचना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित किसी पदाधिकारी को दी जायेगी। सूचना देने का दायित्व वनपोषक का होगा।

15. परिपक्वता अवधी के पूर्व ही किसी प्राकृतिक आपदा अथवा बिमारी के कारण वृक्षों के सूख जाने एवं गिरने की स्थिति में, वृक्षों का विदोहन पर्यावरण एवं वन विभाग अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित सक्षम स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जायेगा। पूर्वनुमति प्राप्त करने का दायित्व वनपोषक का होगा । विदोहन से प्राप्त सम्पूर्ण राशि पर वनपोषक का आधिकार होगा।

16. आवंटित इकाइयों के वृक्षों का उपयोग मधुमक्खी पालन, तसर सिल्क के कीट का पालन, लाह कीट पालन इत्यादि जैसे कार्यो के लिये वनपोषक द्वारा किया जा सकेगा।

17. योजना के 5 वर्ष पूरे हो जाने पर इन जॉब कार्डधारियों में प्रति जाब कार्डधारी 50–50 पौधे की दर से विहित प्रक्रिया के अनुसार वृक्ष आवंटित कर दिया जायेगा।

18. आवंटित इकाइयों के अवस्थित वृक्षों की सुरक्षा, संबर्धन एवं संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कार्य एवं उपाय वनपोषक द्वारा स्वतः किये जायेंगे।

19. परिपक्वता अवधी के बाद विदोहन किये गये वृक्ष के स्थान पर नये वृक्ष लगाने की जिम्मेवारी वनपोषक की होगी। इस वनपोषक के लिये पौधे पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निःशुल्क दिया जायेगा।

20. प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी से पेड़ सूख जाने की स्थिति में या गिर जाने की स्थिति में उस स्थान पर नये वृक्ष लगाने की जिम्मेवारी वनपोषक की होगी और नये लगाये गये वृक्ष से लाभ शेष अवधी के लिये ही वनपोषक प्राप्त कर सकेंगी/सकेंगे। इस वृक्षारोपण के लिये पौधे पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निशुल्क दिया जायेगा।

21. वनपोषक को आवंटित इकाई स्थल पर किसी भी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण करने अथवा कराने का अधिकार नहीं होगा।

22. वनपोषक को आवंटित इकाई के अधीन भूमि के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

23. भूधारक प्राधिकार/पैतृक विभाग का संबंधित नहर, नदी तटबंध, सड़क आदि पर आवश्यक रख–रखाव, सृदृढ़ीकरण, निर्माण का अधिकार रहेगा। इन कार्यो के क्रम में यदि वृक्षों को कोई नुकसान होता है तो वनपोषक का किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा। अगर इस क्रम में वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो तो पैतृक विभाग द्वारा पातन विहित रिति से किया जा सकेगा। वनपोषक को इस हेतु कोई मुआवजा देय नहीं होगा। पातन के बाद सम्पूर्ण वन पदार्थ पर वनपोषक का होगा।

24. आवंटन रद्द करने का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिकृत प्राधिकार को होगा । ग्रामीण विकास विभाग अपील के भी प्रावधान निर्धारित करेगा।

25. आवंटन रद्द करने से पूर्व वनपोषक को एक कारण बताओं नोटिस तीस दिनों की अवधि देते हुए भेजा जायेगा। तत्पश्चात् सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण, यदि आवश्यक हो, के बाद समुचित आदेश पारित किया जायेगा।

26. यदि आवंटन रद्द किया जाता है तो वनपोषक को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इकाई में अवस्थित सभी वृक्षों पर भू–धारक प्राधिकार का स्वामित्व होगा।

27. योजना के मूल स्वरूप को परिवर्तित किये बिना इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुदेश प्रपत्र आदि निर्धारित करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार सक्षम होगा।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 9106 पटना, दिनांक 16/7/2011

ग्रा0वि0-8(55)-27-2010

प्रेषक,

ए0 संतोष मैथ्यू,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त,
तिरहुत प्रमण्डल,
मुजफ्फरपुर ।

विषय:- वर्षा ऋतु में योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2749 दिनांक 14.07.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्षा ऋतु में विभागीय पत्रांक 141/C दिनांक 18.08.2007 के द्वारा 15 जून से 15 अक्टुबर तक मिट्टी के कार्यो पर रोक है । विशेष परिस्थिति में मिट्टी के कार्य उपरोक्त विभागीय पत्रांक में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए किये जा सकते है । उल्लेखनीय है कि सुखा रोधी कार्य, वृक्षारोपण और वन संरक्षण सहित (जिसे अधिनियम के अनुसूची-1 में दूसरी प्राथमिकता प्राप्त है) अंतर्गत पौधा रोपण कार्य वर्षा ऋतु हेतु सबसे उपयुक्त है । वस्तुतः मौसमी व्यवहार्यता के आलोक में पौधा रोपण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए बागवानी बगान (पौधा रोपण) संबंधी योजनाओं को इसी प्रकार दूसरी प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है । विदित हो कि जॉब कार्डधारी द्वारा काम की मॉग किये जाने के 15 दिनों के अन्तर्गत कार्य उपलब्ध कराये जाने की वैधानिक अनिवार्यता है, इसलिए जरूरी है कि मौसमी व्यवहार्यता के आलोक में भी काम की मॉग के आकलन के अनुसार Shelf of Projects में उपयुक्त कार्यो का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया गया हो ताकि वर्षा ऋतु में भी मॉग के विरूद्ध तुरंत कार्य प्रारम्भ किया जा सके । अगर Shelf of Projects में वर्षा ऋतु में मौसमी व्यवहार्यता के आलोक में काम के मॉग के आकलन के अनुरूप योजनाएँ चयनित नहीं है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी का दायित्व है कि योजनाऐं के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए पर्याप्त मात्रा में पौधारोपण संबंधी योजनाएं चयनित कराते हुए, जिला वार्षिक कार्य योजना में जोडते हुए प्राक्कलन तैयार करा कर तकनीकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यान्वयन निकायों को उपलब्ध करा दी जाय ।

विश्वासभाजन

16/7

(ए0 संतोष मैथ्यू)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9106 पटना/दिनांक 16/7/2011

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त(तिरहुत प्रमंडल छोडकर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9106 पटना/दिनांक 16/7/2011

प्रतिलिपि:- सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9106 पटना/दिनांक 16/7/2011

प्रतिलिपि:- सभी अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9106 पटना/दिनांक 16/7/2011

प्रतिलिपि:- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
(विकास शाखा)
पत्रांक– डी0–11–03 / 12–677 / वि0,

प्रेषक,

श्री एस0एम0राजू, भा0प्र0से0,
आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
कार्यक्रम पदाधिकारी / मुखिया / पंचायत रोजगार सेवक,
मुंगेर, लखीसराय, जमुई एवं शेखपुरा।

मुंगेर, दिनांक–30 मार्च, 2012.

विषय :– मनरेगा योजनान्तर्गत सड़क के किनारे बीजू फलदार पौधारोपण तथा पौधों की सिंचाई हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

इस माह में मुंगेर, लखीसराय, जमुई एवं शेखपुरा में मुखिया स्तर की कार्यशाला में एवं विभिन्न तकनीकि पदाधिकारियों के साथ चर्चा के क्रम में यह सुझाव दिया गया है कि हुई कि सड़कों के किनारे एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर यदि बीजू फलदार पौधा लगाया जाय तो उसका देखभाल करना आसान है। इन जिलों में मिट्टी बहुत कड़ा है और वाटर टेबल नीचे है तथा बीजू आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है और छाया भी ज्यादा देता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर बीजू फलदार पौधारोपण उपयुक्त होगा।

2. तदनुसार दक्षिण बिहार के मिट्टी एवं जल परिस्थितियों को देखते हुए मनरेगा से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं मुखियागण को निदेशित किया जाता है कि दक्षिण बिहार के सभी प्रखंडों में यथासंभव बीजू पौधा लगाया जाय। लेकिन निजी जमीन पर किसान की इच्छा से सिर्फ कलमी फलदार ही लगाया जाय क्योंकि इससे अधिक उत्पादन एवं अधिक दाम मिलेगा।

3. उक्त कार्यशाला में मुखियागण के द्वारा ऐसा बताया गया कि चापाकल लगाये जाने में उत्तर बिहार से भिन्न प्रकार का जल स्तर पाये जाने के कारण खर्चा ज्यादा लगेगा। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग के सामाजिक बानिकी दिशा–निर्देश के पैरा–16 में पौधों की सिंचाई का पर्याप्त प्रावधान है। इस आलोक में उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, जमुई के द्वारा भेजे गये विभिन्न जल स्तर से पानी निकासी करने के निम्नांकित प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए

Jaychand

निर्देश दिया जाता है कि इसी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन का उपयोग मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा में किया जाय।

क्र0 सं0	सिंचाई व्यवस्था प्रकार	प्राक्कलित एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त राशि
01	ट्यूबेल 80 एम0एम0 X 40 एम.एम. X 46 मीटर गहरा(150 फीट)	24378/रु0
02	ग्रेभेल पैक्ड ट्यूबेल 125 एम0एम0 X 38 मीटर गहरा	48445/रु0
03	ड्रिल ट्यूबेल 125/11 एम.एम. 60 मीटर गहरा	49136/रु0

4. गया जिला में 24378 रु0 के राशि से गाड़े गये चापाकल से दो से तीन यूनिट पौधारोपण किया जा रहा है तथा अन्य ग्रेभेल पैक्ड और ड्रिल ट्यूबेल से क्रमशः 48445 रु0 एवं 49136 रु0 के लागत से ट्यूबेल पर 6 यूनिट से ज्यादा पौधरोपण किया जा रहा है। तद्नुसार सामग्री मद (मेटेरियल कम्पोनेंट) से खर्चा कम करने हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि जहाँ 24378 रु0 के लागत से ट्यूबेल गाड़ा जाएगा, वहाँ दो से तीन यूनिट पौधारोपण रहेगा और अन्य जो क्रमशः उक्तरूपेण 48445 एवं 49136 रु0 के लागत से ट्यूबेल गाड़ा जाएगा, वहाँ कम-से-कम पाँच यूनिट और उससे ज्यादा यूनिट पौधारोपण किया जाएगा।

5. उक्त निर्देशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय।

अनु0-यथोक्त-तीन प्राक्कलन।

विश्वासभाजन

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :- डी0-11-03/12-677/वि0, मुंगेर, दिनांक- 30 मार्च 2012.

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना,
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना,
प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार, पटना,
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना
को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

पत्रांक–1175 /सी0,
आयुक्त कार्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
(गोपनीय शाखा)

प्रेषक,

श्री एस0एम0राजू, भा0प्र0से0

आयुक्त,

मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी,
सभी मुखिया
सभी पंचायत रोजगार सेवक,
मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर।

मुंगेर, दिनांक– 14-04 अप्रैल, 2012.

विषय :– मनरेगा योजनान्तर्गत पौधा रोपण के लिए सिचाई व्यवस्था करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त बिषय के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक–677/वि0, दिनांक–30.03.2012 के द्वारा सुखाड़ क्षेत्र में दो से तीन यूनिट पौधा रोपण के लिए सिचाँई व्यवस्था हेतु मो0– 24378 रूपये की लागत से चापाकल लगाने हेतु निदेश दिया गया था। लेकिन अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्र भ्रमण में यह देखा गया है कि दो से तीन यूनिट पौधा रोपण के पौधों को पानी पटाने एवं उन पौधा के बीच की भूमि में अन्य फसल की खेती (इन्टर कल्टीवेशन) करना एक चापाकल के सहारे पानी पटाना मुश्किल है। इसलिए हर दो यूनिट पौधा रोपण के लिए सुखाड़ क्षेत्र में मो0–24378 रूपये के लागत का चापाकल लगाया जाय जिसका विस्तृत प्राक्कलन पुनः इस पत्र के साथ संलग्न है। इसी तरह तीन यूनिट से पाँच यूनिट पौधा रोपण के लिए बड़ा चापाकल/टयूबवेल मो0– 49136 रूपये के लागत का लगाया जाय जिसका विस्तृत प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न है। ऐसा पौधों के संरक्षण किये जाने एवं उसी सिचाँई से पौधों के बीच अन्तर फसल (इंटर कल्टीवेशन) का भी सिचाई किया जा सके।

2. ज्ञातव्य हो कि वास्तविक कार्य की गुणवक्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही मापी पुस्तिका में प्रविष्टी किया जाय अन्यथा फर्जी प्रविष्टि पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा किया जाएगा।

विश्वासभाजन

आयुक्त
मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर।
14/4/12

Uday. Co.comm. mgr

ज्ञापंक–145/वि0 दिनांक– 14-04-2012

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर। 14/4/12

ज्ञापंक– 145/वि0 दिनांक– 14-04-2012

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर। 14/4/12

ज्ञापंक– 145/वि0 दिनांक– 14-04-2012

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर। 14/4/12

ज्ञापंक– 145/वि0 दिनांक– 14-04-2012

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर। 14/4/12

GOVERNMENT OF BIHAR
Public Health Engineering Department
P.H. DIVISION - JAMUI
Name of Work :- Estimate for Construction of T/Well 80mm x 40mm x 46 Mtr. Deep (150 ft.) (Average) Hand Operated Tube Well with Cylinder & G.I. Pipe under P.H. Division, Jamui, (SOIL ITEM-B)
PART - A
COST OF MATERIALS

Item No.	Items of Work	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6
(A)	Cost of Materials.				
1.	C.I. shallow well hand pump conforming to IS: 8035/1999 (Latest)	1	Each	2493.75	2493.75
2.	40 m n dia x 2.0 mts. Long PVC ribbed Strainer of approved quality with shoe plug.	2	Each	181.50	363.00
3	80 mm dia G.I. Pipe (light qualit)	12.20	P/M	383.65	4680.53
4	40mm dia G.I. Pipe conforming to ISS.	29.60	Mtr	186.35	5515.96
5	40 mm dia G.I. Pipe riser Pipes conforming to ISS.	10.70	Mtr	186.35	1993.94
6	25mm dia G.I. suction pipes conforming to ISS.	6.10	Mtr	132.63	809.04
7	40 mm dia x 25 mm dia C.I.B.P. Cylinder of IInd	1	Each	675.00	675.00
8	12 mm x 3.0 M long connecting road.	4	Each	130.00	520.00
				Total A :-	**17051.22**

(B)	Cost of Labours.				
1.	Providing all tools and plants and doing boring and lowering the G.I. Pipe and Strainers, etc. all complete.				
	(d) 80 mm dia G.I. Pipe 0 to 12.20 mtr for 12.20 mtrs.	12.20	Mtr	135.70	1655.54
	(e) 40 mm dia G.I. Pipe 12.20 mtr. to 30.5 mtr. for	18.30	Mtr.	90.47	1655.60
	(f) 40 mm dia G.I. Pipe 30.5 to 61.00 mtr. for 30.50 mtrs.	15.50	Mtr	104.04	1612.62
2	Providing labour for fitting and fixing hand pump Now & over flages connected with G.I. tube well including replacing leather bucket, leather flap valves, nuts and bolts etc as well as all tools and nuts required for the job all complete as per specifications and direction of E/I.	1 No.	Each	94.00	94.00
3	Fitting and fixing cylinder with connecting rods and suspension pipe	1 No.	Each	83.60	83.60
4	Carriage for Tube Well, Platform and drain etc materials from store to proposed site and back to store, if any materials be surplus and running cost of vehicles for inspection. One Item L.S.	1 No.	Each	115.00	115.00

	Items of Work	Quantity	Unit	Rate	Amount
	2	3	4	5	6
5.	For making 1.20m x 1.20m brick masonry platform with one brick flat soling and 60mm thick P.C.C., with punning and 120mm apron all around.	**1 No.**	**Each**	**841.70**	**841.70**
6.	Providing brick masonry drain having 125mm appron both sides 125 mm deep and 125 mm wide including plaster with Punning and P.C.C. (1:3:6) 80 mm thick over one layer of brick flat soling.	**3**	**P/M**	**345.8**	**1037.40**
	For Developing & Testing the Tube Well till the discharge is free from sand.	**1 No.**	**Each**	**231.1**	**231.1**
				Total (B) :-	**7326.56**
				Total (A) + (B) :-	**24,377.78**
				Say 1 Nos. ₹ :-	**24378.00**

(Twenty Four Thousand Three Hundred Seventy Eight) Only.

26/3/12
Executive Engineer
P.H.Division, Jamui

Tech. Sanction accorded for ₹ 24378.00
(Twenty four thousand three hundred seventy eight) only.

26/3/12
Executive Engineer
P. H. Division, Jamui
26/3/12

Estimate for the work of construction of 125mm dia x 38.00 mtr deep Gravel packed T/W with I.M III Hand Pump including construction of Platform & drain as per unicef design.

Sub Estimate No-1

For One No of T/W

(A) Labour Cost

S.No.	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Transportation of Rig machine with necessary tools and equipment and materials to work site .	1 Nos	Each	600.00	600.00
2	Supplying all materials, labours , tools and equipments for drilling in all kinds of soil (Soft and hard) as well as sand stone layer by reverse circulation method 300mm/250mm dia bore hole below ground level for insertion of 125mm dia UPVC Blue Casing pipes & Strainer or slotted pipes for installation of IM III hand pump all complete as per specification and direction of E/I.				
	From 0 mtr to 30.50m below G.L	30.5 mtr	P/M	220.00	6710.00
	Beyond 30.50m to 45.00mtr	8.5 mtr	P/M	220.00	1870.00
3	Providing fitting & fixing the following M.S/G.I fitting of approved make including making thread of required pitch of well plug as suitable in 125mm dia UPVC Pipes etc. as per specification and direction of E/I.				
	a) 125mm dia centre Guide	3 Nos	Each	150.00	450.00
	b) 125mm dia well plug	1 Nos	Each	75.00	75.00
	c)125mm dia M.S clamp	1 Pair	Each	140.00	140.00
4	Providing all materials, labours ,equipments for lowering of 125mm dia UPVC Blue casing Pipes/ Strainer/slotted pipes (Pipes in Perfect vertical plumb and confirming to available strata i.e Slotted pipes are to be lowered in water bearing strata or aquifer)all complete job confirming to relevant IS and BIS specification with latest amendment and as per direction of E/i.				
	a) 125mm dia UPVC Blue Casing Pipes	32 mtr	P/M	30.60	979.20
	b) 125mm dia ribbed screen pipe	6 mtr	P/M	30.60	183.60
5	Supplying 3 to 6mm well washed pea gravel & pouring around the circular space between bore hole and 125mm dia pipe uniformly upto the depth of 10 mtr. below ground level all complete as per standard specification and direction of E/I.	1.4 M^3	P/M^3	1781.00	2493.40
6	Supplying all materials and equipment to seal the tube well up to depth of 10mtr below G.L by sticky clay to prevent contamination from surface inflow all complete job with standard specification & direction of E/I	1 Nos	Each	57.30	57.30
7	Supplying all labour , tools , equipments and materials for developing the tube well with suitable device so as to give clean and clear sand free discharge all complete job as per standard specification & direction of E/I.	1 item	Each	500.00	500.00
8	Supplying all materials labour equipment including 125mm dia G.I cap & fitting the same over Tube- well properly and taking out at the time of lowering as per standard specification and direction of E/I. (The G.I cap will be property of contractor)	1 Nos	Each	65.00	65.00

1	Providing all materials, labour and constructing P.C.C platform of 1850 mm dia 183.50 mm average thick bed in slope of 1 in 50, 100 mm wide x 97 mm (av.) deep appron all around the platform ,fitting fixing leg of IM III hand pump in P.C.C block of size 760mmx760mmx400mm deep including constructing 200 mm thick foot restof size 1.0Mx 1.0M in PCC (1:2:4) & 12 mm thick (1:3) cement plaster with 1.5 mm thick cement punning on bed, appron, Foot rest and outer surface all complete as per design, drawing specification of I.S 13056:1991 and direction of E./I	1	No.	Each	3025.00	3025.0
2	Supplying all materials , labours and equipments and constructing P.C.C (1:2:4) drain as per UNICEF design etc all complete job as per direction of E/I.	3	M	Per M	308.00	924.0
	Sub Total (B)				**Rs.**	**3949.0**
	C. Material Cost					
1	Cost of IM- III HP, set with cylinder, connecting rod and all accessories conforming to relevant ISS	1	No.	Each	8550.00	8550.0
2	Cost of 125mm UPVC blue casing pipe as per relevant ISS	18	M	Rs	313.90	5650.2
4	Cost of 65 mm dia X 3 meter long medium class G.I. Pipe as per relevant ISS	24	m	pm	354.00	8496.0
	Sub Total ©				**Rs.**	**22696.2**
	Total cost for one tube well				**Rs.**	**49135.1**
	Say				**Rs.**	**49136.0**

Executive Engineer
P.H. Division, Jamui

Tech. Sanction accorded for Rs 49136.0
(forty nine thousand one hundred thirty six)

26/3/12
Executive Engineer
P. H. Division, Jamui

ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF 125/115MM DIA 60 MTR. DEEP DRILLED TUBE WELL WITH INSTALLATION OF INDIA MARK III HAND PUMP.

SUB ESTIMATE NO.-2 — **For 1 No T/W**

(A) DRILLING

S.No.	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount
1 (A)	Drilling in all kinds of soil and rock in rural area for installation of India mark III hand pump with D.T.H rig all complete including supplying all materials, labour, tools, drilling rig, air compressor and equipments as well as fuel, lubricants for making 125mm/115mm dia boring and cost of transporting charge of rig machine other vehicle upto site of the work as per specification & direction of Engineer in Charge.				
	i) Up to 30 mtr depth below G.L	30 mtr	p/m	330.60	9918.00
	ii) Beyond 30 mtr up to 65mtrs.	30 mtr	p/m	360.50	10815.00
2	Supplying all materials labors and equipments for lowering 125mm dia UPVC Pipes as casing for protecting the bore from failing during the process of drilling all complete including carriage to work site etc. all complete.	18 mtr	p/m	8.40	151.20
3	Supplying all tools, laobours and equipments and doing washing, flushing & developing of drilled tube well to give clean and clear water all complete as per direction of E/I.	0.5 hour	P/H	1071.60	535.80
4	Supplying labours and equipment including 125mm dia G.I Cap& fitting & fixing over the tube well properly and taking out as per direction of E/I (Cap will be property of contractor)	1 Nos	Each	65.00	65.00
5	Supplying all labour tools and equipment for fitting and fixing India mark III hand pump Over newly sunk T/w etc. all complete job confirming to relevant IS and BIS Specification with latest amendment and asper direction of E/I.	1 Nos	Each	104.07	104.07
6	Supplying all labors for fitting and fixing of deep well cylinder with riser pipes including necessary connecting and jointing materials, chrome leather bucket all tools and plauta all complete job as per standard specification & direction of E/I	1 Nos	Each	92.07	92.07
7	Supplying all materials tools equipment and labors for lowering 65 mm dia GI Pipes (medium quality) in (3.00mtr length each) in drilled T/W etc. all complete job. Confirming to relevant IS and BIS Specification with latest amendment and as per direction of E/I.	24 mtr	P/M	33.70	808.80
	Sub Total . (A)				22489.94
	B. Construction of Platform and Drain				

9	Supplying all labour tools and equipment for fitting and fixing India mark III hand pump Over newly sunk T/w etc. all complete job confirming to relevant IS and BIS Specification with latest amendment and asper direction of E/I.	1	Nos	Each	104.70	104.70
10	Supplying all materials tools equipment and labors for lowering 65 mm dia GI Pipes (medium quality) in (3.00mtr length each) in drilled T/W etc. all complete job. Confirming to relevant IS and BIS Specification with latest amendment and as per direction of E/I.	24	mtr	P/M	33.70	808.80
11	Supplying all labors for fitting and fixing of deep well cylinder with riser pipes including necessary connecting and jointing materials, chrome leather bucket all tools and plauta all complete job as per standard specification & direction of E/I	1	Nos	Each	92.07	92.07
	Sub Totel (A)				Rs.	15129.07
	B. Construction of Platform and Drain					
1	Providing all materials, labour and constructing P.C.C platform of 1850 mm dia 183.50 mm average thick bed in slope of 1 in 50, 100 mm wide x 97 mm (av.) deep appron all around the platform ,fitting fixing leg of IM III hand pump in P.C.C block of size 760mmx760mmx400mm deep including constructing 200 mm thick foot restof size 1.0Mx 1.0M in PCC (1:2:4) & 12 mm thick (1:3) cement plaster with 1.5 mm thick cement punning on bed, appron, Foot rest and outer surface all complete as per design, drawing specification of I.S 13056:1991 and direction of E./I	1	No.	Each	3025.00	3025.00
2	Supplying all materials , labours and equipments and constructing P.C.C (1:2:4) drain as per UNICEF design etc all complete job as per direction of E/I.	3	M	Per M	308.00	924.00
	Sub Total (B)				Rs.	3949.00
	C.Material cost					
1	Cost of 125mm UPVC blue casing pipe as per relevant ISS	32	M	p/m	313.90	10044.80
2	Cost of 125 mm X 3.00 m long UPVC ribbed sceen pipe (strainer) as per relevant ISS	2	No.	Each	1138.00	2276.00
3	Cost of IM- III HP set with cylinder, connecting rod and all accessories conforming to relevant ISS	1	No.	Each	8550.00	8550.00
4	Cost of 65 mm dia X 3 meter long medium class G.I. Pipe as per relevant ISS	24	M	p/m	354.00	8496.00
	Sub Total (C)				Rs.	29366.80
	Total (A+B+C)				Rs.	48444.87
					Say	48445.00

26.3.12
Executive Engineer
P.H. Division, Jamui

Tech. Sanction accorded for Rs 48445.00 (Forty-eight thousand four hundred forty-five) only.

26/3
Executive Engineer
P. H. Division, Jamui

बिहार सरकार

सामाजिक वानिकी के तहत कार्य करने वाले
वनपोषक (रोजगारी) का
परिचय पत्र

Photo

वनपोषक (रोजगारी) का नामः—
पिता पति का नामः—
पूरा पताः— योजना संख्या ..... वर्ष.....
योजना का नामः—
वर्ष **2012-2017**

कार्यक्रम पदाधिकारी
.....

निर्गत तिथिः—

नोट :— यह परिचय पत्र महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम के तहत मनरेगा के दिशा—निर्देश के आलोक में वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक कार्य करने वाले वनपोषक (रोजगारी) की पहचान के लिए तथा इस योजना में निरीक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी को दिखाने हेतु निर्गत किया गया है।

2. वनपोषक (रोजगारी) कार्य करते समय इसे सदा अपने गले में लटका कर रखेंगे।

पत्रांक–16–03/09 324/ ...... /मुजफ्फरपुर दिनांक–24/12/2009

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, तिरहुत प्रमंडल ।
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, तिरहुत प्रमंडल ।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल ।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल ।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल ।

विषयः– नदी के ढ़लान (**RIVER BANK**), नदियों का बाँध (**RIVER EMBANKMENT**) एवं बारिश के मौसम में जलजमाव होने वाले क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के अन्तर्गत बाँस एवं अन्य फलदार वृक्ष यथा जामुन का पेड़ लगाकर रोजगार सृजन करने एवं भू–संरक्षण करने के संबंध में ।

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा तिरहुत प्रमंडल के भ्रमण के दौरान यह देखा गया है कि सघ्ज्ञन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (**FLOOD AFFECTED AREA**) यथा गंडक, बागमती और बुढ़ी गंडक नदियों के किनारे पड़ने वाले ग्राम पंचायतों में रोजगार का सृजन नगण्य है । इन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा होने वाले भू–संरक्षण से मिट्टी का बचाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रत्येक साल हजारों एकड़ जमीन कृषि अयोग्य हो जाती है ।

(2) इस क्षेत्र में मिट्टी का काम जो भी पूर्व में किया गया है । वह भी नजर नहीं आ रहा है । यहाँ 4 से 5 महीना ही मिट्टी कार्य (**EARTH WORK**) के लिए बचता है किन्तु नरेगा के तहत रोजगार मांगने वसले को 100 दिनों का रोजगार देना आवश्यक है । इसलिए, इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करना आवश्यक है ।

(3). सामाजिक वानिकी का मूल उद्देश्य यह है कि आम जनता को भोजन, लकड़ी एवं चारा (**FOOD, FUEL, WOOD AND FODDER**) का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाया जाये किन्तु सामाजिक वानिकी के इस मूल उद्देश्य को ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं लाया जा सका है । यद्यपि यहाँ कि मिट्टी बहुत ही अच्छी है, एवं पानी की व्यवस्था है फिर भी लाखों लोग बेरोजगार हैं ।

(4). नदियों के ढ़लाव एवं बाँध पर भू–संरक्षण को नहीं किये जाने के वजह से नदी की धारा हर साल बदलती रहती है और बाँध टूटकर हजारों एकड़ भूमि को कृषि हेतु अयोग्य कर देती है । नदी के बगल में भू–संरक्षण होते–होते हजारों एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र स्थायी रूप से बर्बाद हो जाता है ।

(5) दिनांक–17.12.2009 को शिवहर जिलान्तर्गत पिपराही प्रखंड के दियारा क्षेत्र में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भ्रमण किया गया । भ्रमण के दौरान देखा गया कि जो एन.एच.

पर पुल बन रहा था उसे लगभग 30 प्रतिशत बन जाने के बाद नदी की धारा परिवर्तित हो गई जिससे इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा और अन्य जगहों पर नया सड़क निर्माण करने हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है । इस प्रकार इस प्रमंडल में नदियों की धारा बहुत ही तेजी से बार–बार परिवर्तित होने के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो रही हैं और वहाँ सिर्फ बालु ही दिखाई पड़ रहा है जिसपर **WILD GRASS (जंगली घास)** उगे हुए हैं । जहाँ नदी से कटाव हो रहा है वह जगह किसी न किसी आदमी की रैयती भूमि है जिसको स्थायी रूप से आगे संरक्षण करना आवश्यक है । फिलहाल प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ की राशि बाढ़ नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा खर्च किया जा रहा है इसके बावजूद भी इसका स्थायी सामाधान नहीं हो पा रहा है ।

(6) दिनांक–19.12.2009 को शनिचरी, योगापट्टी में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अभियंता प्रमुख, (उत्तर) जल संसाधन विभाग से अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस विषय पर चर्चा की गयी । चर्चा के दौरान उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक 100 मी. (3260 फीट) की दुरी पर बाँस लगाने के पश्चात् 50 फीट की दुरी छोड़ कर पुनः बाँसरोपण कराया जाये । ऐसा करने से भविष्य में बाँध को मजबूत करने हेतु उक्त नदी से बालू निकालने के लिये उक्त छुटे हुए स्थानों से ट्रैक्टर या अन्य वाहन का परिचालन कराया जा सकता है । ऐसा करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्व से अगर रास्ते का चिन्ह निर्मित हो तो वहीं पर 50 फीट की दुरी छोड़ना चाहिए ।

(7) उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का उत्तर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अधिनियम के तहत् शिडीयूल–1 में स्पष्ट रूप से वर्णित है ।

(8) उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि को बाढ़ के विभीषिका से बचाने हेतु सामाजिक वानिकी के मूल उद्देशय की प्रर्ति करने एवं साथ ही गरीबों को रोजगार सृजन करने हेतु इन नदियों के बाँध एवं टाल क्षेत्र में रैयती भूमि, सरकारी भूमि तथा सड़क एवं पुलों के निकट बाँस लगाने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

(क) नदियों की धार **(RIVER BANK)** पर जल स्तर से ही पौधारोपण 3/3 फिट पर 5 पौधा (चार कोना पर 1–1 तथा केन्द्र में एक पौधा) लगाना और एक पीट से दूसरे पीट के बीच 4 मीटर के अन्तर रखना सुनिश्तिच करें ।

(ख) एक पीट से दूसरे पीट के बाँस के मध्य में जामुन का पौधा लगाना सुनिश्चित करें ।

(ग) नदी की ढ़लान यदि रैयती जमीन हो तो भी उस नदी को बाढ़ से नियंत्रण करने हेतु बाँस लगाया जा सकता है किन्तु इसके लिए नदी के धार जिस किसान का हो उससे सहयोग लेकर यह कार्य सुनिश्चित करें ।

(घ) जहाँ–जहाँ पुल बनाया गया है उस पुल के बगल में भी बाँस का पौधारोपण करके भू–संरक्षण से बचाव किया जाये और इसके लिए संबंधित पथ निर्माण विभाग से भी तकनीकी सलाह ली जाये ।

(ङ) जहाँ सड़क जल जमाव (**WATER LOGGED**) क्षेत्र में आता है वहाँ भी बाँस लगाया जाये । बाँस लगाने के समय सड़क के **FLANK** को छोड़कर जितनी जमीन सरकार की है उस जमीन तक नापी कराकर पथ निर्माण विभाग के अभियंता से सहयोग लेकर बाँस लगाया जाये।

(च) नदी के किनारे (**RIVER BANK**) एवं बाँध पर (**RIVER EMBANKMENT**) पर बाँस का पौधा कैसे लगाया जाये इस संदर्भ में एक नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है जिसके अनुसार कार्रवाई की जये एवं सभी मुखियागणों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाये । फिलहाल दक्षिण पटजिरवा, बैरिया प्रखंड, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं उसी प्रखंड के अन्य ग्राम पंचायतों में इस कार्य को प्रारम्भ किया गया है । उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने जिला के कम–से–कम एक मुखिया, एक पंचायत रोजगार सेवक एवं एक कार्यक्रम पदाधिकारी को इस ग्राम पचांयत का भ्रमण कराकर उन्हें अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार कार्य करने हेतु निदेश दें ।

(छ) अपने स्तर से हर जिला के एक ग्राम पंचायत में ऐसा अच्छा प्लौट बनाकर उसको परिणाम प्रदर्शन के रूप में मानकर जिला के अन्य लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाये ।

(ज) बाँस का पौधारोपण 31, मार्च तक सभी नदियों के किनारे पूर्ण किया जाये क्योंकि इससे राज्य सरकार को बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि संरक्षण में करोड़ों रूपये की बचत होगी साथ ही करोड़ो रूपये की सम्पति भी सृजित होगी । यह बाँस पौधारोपण पावर सेक्टर, कागज उद्योग एवं अन्य लघु उद्योग के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा ।

(झ) यह ध्यान में रखे कि नदी के **EMBANKMENT** में यथा संभव जहाँ **FRESH** मिट्टी शुरू होती है वहाँ से **RIVER BANK** के अंतिम चरण तक नक्शे में दिये गये रूप रेखा के अनुसार बाँस रोपण का कार्य कराया जाये ।

(ट) दिनांक–15.01.2010 तक सभी जिलों (पश्चिम चम्पारण को छोड़कर, क्योंकि वहाँ कार्य प्रारम्भ हो चुका है) सभी जिलों में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा पौधारोपण के कार्य का शुभारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये ।

विश्वासभाजन

ह0/–
आयुक्त

Indicative drawing for Bamboo Plantation in river bank and river embankment

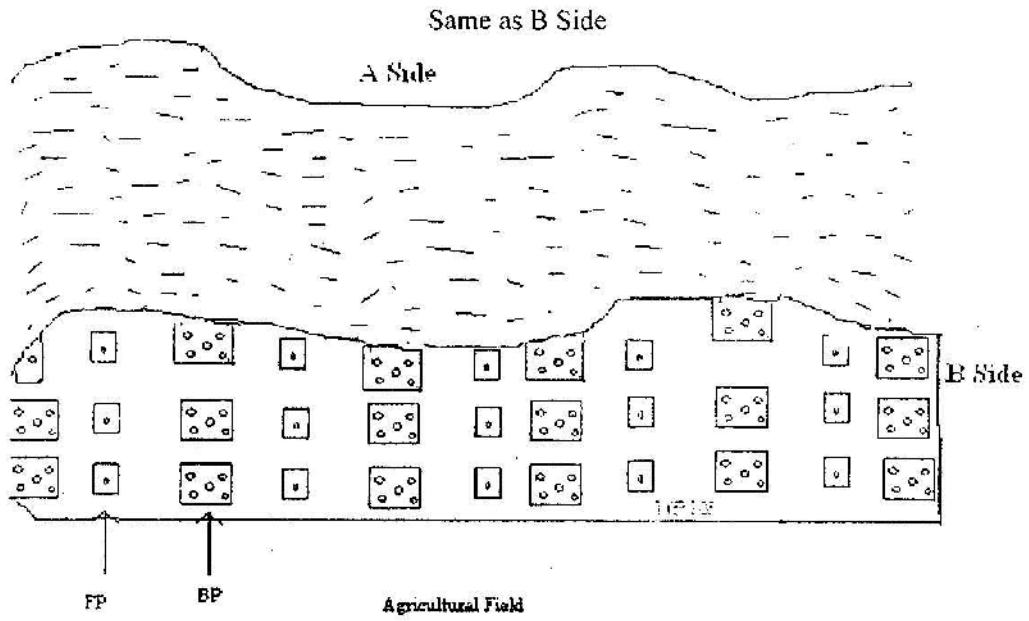

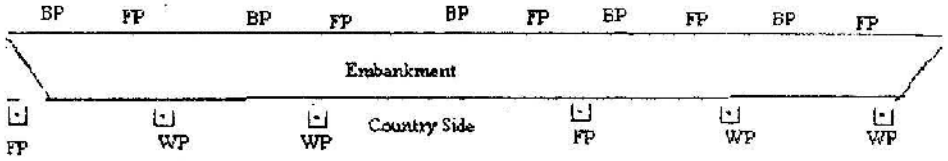

BP= Bamboo Plants, FP=Fruit Plants (Jamun), WP=Wood Plants (Non Shadow One Ex.- Mohangia, Teak etc.)

1. In vertical section distance of BP pits to BP pits = 3 feet.
2. In Horizontal section distance of BP pits to BP pits = 13 feet.
3. In Horizontal section distance of FP pits to FP pits = In the middle of two BP pits
4. In vertical section distance of FP pits to FP pits =6 feet
5. In every 100 meter (3260 feet) 50 feet gap should be given in Bamboo plantation in the river embankment for keeping space for carrying sand to the embankment if necessary.

पत्रांकः–16–03 / 09–34 / गो0 मुजफ्फरपुर दिनांकः–30 / 01 / 2010

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम, समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, तिरहुत प्रमंडल।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल ।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल ।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल ।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के अन्तर्गत बांस रोपण करके बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी संरक्षण करते हुए रोजगार सृजन करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सदर्भ में कृपया निदेशक, बागवानी, बिहार (**STATE BAMBOO MISSION**) के पत्रांक–**NBM / BHBS** / 64 / 2007–82 / **NBM, PATNA** दिनांक–25 जनवरी, 2010 के आलोक में राज्य बाँस मिशन अन्तर्गत मे0 भारत वाटिका नर्सरी, महात्मा गाँधी सेतु पथ जढुआ, वैशाली, हाजीपुर अन्तर्गत नर्सरी को **BTCG, C.B.T.C Guwahati** के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सत्यापन किये गये प्रमाण–पत्र अधोहस्ताक्षरी को भेजा गया है तथा मिशन निदेशक, राज्य बाँस मिशन, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–**NBM/BHDS/64/2007 82/NBM,** पटना दिनांक–25.01.2010 में मेसर्स भारत वाटिका नर्सरी, महात्मा गाँधी सेतु पथ, जढुआ, हाजीपुर, वैशाली को पत्र लिया गया है कि राज्य बाँस मिशन से संबंधित जिलों से सम्पर्क कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय । अतः निदेशित किया जाता है कि बाँस के पौधों को उपरोक्त नर्सरी या अन्य नर्सरी जो निदेशालय द्वारा सत्यापित किया गया है उसमें से वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए बाँस के पौधों की खरीदगी की जा सकती है । इस बाँस के पौधे की खरीदगी करने के समय पर परियोजना का पारा 4.9 में दिये गये वित्तीय नियमावली का पालन किया जाना अभिष्ट है ।

3. बांस के पौधा क्रय करते समय संलग्न **CERTIFICATE** में दिये गये **PARAMETER** का ध्यान रखा जाये ।

4. पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 16–03 / 09–01 दिनांक 01.01.2010 के द्वारा दिनांक 06.02.2010 को एक ही दिन सभी जिलों में (पश्चिम चम्पारण, बेतिया छोड़कर, क्योंकि वहां यह योजना प्रारंभ हो चुकी है) जिला पदाधिकारी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ करने का निदेश

दिया गया था । उसके आलोक में निर्धारित तिथि को इस योजना का शुभारंभ करते हुए दिनांक 31.03.2010 तक अपने जिले के सभी **RIVER BANK** में बांस के पौधारोपण करना सुनिश्चित करें। साथ–साथ पूर्व के पत्र में दिये गये दिशानिदेश के आलोक में दूरी आदि का ध्यान रखते हुए जामुन के पौधा भी लगाया जाये । जहाँ **RIVER EMBANKMENT** का काम पूर्ण हो चुका है, वहाँ नदी के तरफ बांस एवं दुसरे तरफ फलदार वृक्ष का पौधा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ चर्चा कर लगाया जाये । उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

5. बांस पौधारोपण एक समयबद्ध कार्यक्रम है तथा माह जुलाई–अगस्त 2010 तक प्रत्येक बांस की लम्बाई 06 से 08 फीट तक विकसित करने का लक्ष्य है । अतः यह आवश्यक है कि सभी बांस का पौधा एक महीने के अन्दर रोप दिया जाये । इससे जुलाई–अगस्त माह में आने वाले बाढ़ से पौधा को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है तथा मिट्टी के कटाव पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अतः इस कार्यक्रम को पंचायत समिति के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की देखरेख में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा । क्योंकि नरेगा के दिशानिदेश के अनुसार अन्तर ग्राम पंचायत में पंचायत समिति के द्वारा कार्य कराया जाना है।

अनुलग्नकः– पत्रांक–**NBM / BHBS / 64 / 2007–82 / NBM, PATNA** दिनांक–25 जनवरी, 2010

2. पत्रांक–NBM/BHDS/64/2007 82/NBM, पटना दिनांक–25.01.2010

विश्वासभाजन,

ह / 0–
आयुक्त

DIRECTORATE OF HORTICULTURE, BIHAR
(State Bamboo Mission)

rack No.-13, Main Secretariat, Patna-800015, Phone+Fax : 0612-2215215, e-mail : dir-bhds-bih@nic.in, website : www.horticulture.bih.nic.in

Letter No. : NHM/BHDS/ 48 /NBM., Patna, Dated 19 January 2010

From,

Arvinder Singh, I.F.S.
Mission Director
State Horticulture Mission, Bihar

To,

Mr. M. S. Raju
Divisional Commissioner,
Tirhut Division,
Muzaffarpur.

Sub:- **Certification of Bamboo Planting Materials – Reg.**

Sir,

As per discussion held in the officer chamber of undersigned, I am enclosing herewith the documents concerning certification of Bharat Vatika Nursery (Bamboo), Hajipur (Vaishali) for your needful action.

With regards,

Enclosures : As above.

Yours sincerely

19.1.10

(Arvinder Singh)
Mission Director,
State Bamboo Mission, Bihar

उद्यान निदेशालय, बिहार

(राज्य बाँस मिशन)

L.No.-13, Main Secretariat, Patna-800015, Phone+Fax : 0612-2215215, e-mail : dir-bhds-bih@nic.in, website : www.horticulture.bih.nic.in

पत्र संख्या : NBM/BHDS/64/2007 82 /NBM, पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2010

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा0प्र0से0
मिशन निदेशक,
राज्य बाँस मिशन, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स भारत वाटिका नर्सरी,
महात्मा गांधी सेतु पथ, जढुआ,
हाजीपुर वैशाली।

विषय : **बाँस के नर्सरी सत्यापन संबंधी कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य बाँस मिशन अंतर्गत आपके नर्सरी का सत्यापन BTSG, C.B.T.C., Guwahati के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कराकर सत्यापन संबंधी मूल एवं द्वितीयक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि राज्य बाँस मिशन से संबंधित जिलों से सम्पर्क कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अरविन्दर सिंह)
मिशन निदेशक,
राज्य बाँस मिशन, बिहार, पटना।

CANE AND BAMBOO TECHNOLOGY CENTRE

CBTC

CBTC/133-12/2009/ZP/

16th December, 2009

To,

Mr. Arvinder Singh
State Mission Director, (National Bamboo Mission),
Bihar Horticulture Development Society,
2nd Floor, Vikas Bhavan Secretariat
Belly Road (Patna), Bihar- 800015

Subject: Certificate of Bamboo planting materials.

Dear Sir,

Kindly find the above mentioned certificate in original and duplicate for nursery owner and National Bamboo Mission Bihar respectively is enclosed here with which was certified by the two member team from CBTC on 03/12/09. The triplicate has been keep with the certifying agency. The reason and details on nurseries which were visited are also enclosed here. Kindly confirm on the receipt of this certificate.

Yours Sincerely,

Kamesh Salam
Director

Copy to: Mr. Kameswar Ojha, Director National Bamboo Mission, Ministry of Agriculture, New Delhi for favour of his kind information and necessary action.

Narikal Basti, Zoo-Narengi Road, Guwahati - 781024, Assam, India
Phone : 0361-2410242, Fax No. 0361 2410250, e-mail : info@caneandbamboo.org
Web Site : caneandbamboo.org

NATIONAL BAMBOO MISSION

Department Of Agriculture and Cooperation, Minister Of Agriculture

Government of India

CBTC

Bamboo Technical Support Group - Cane and Bamboo Technology Center (CBTC)

Narikal Basti, Zoo-Narengi Road, Guwahati-781024, Assam, India

Phone No: +91-361-2410242/ 2410886 Fax No: +91-361-2410250

Certificate of Bamboo Planting Material Developed from Seeds and Vegetative methods

(Except Tissue Culture)

Location: N 25°41.08'
E 85°14.08'

ORIGINAL

SL. NO. BR 001

1. Address of the planting material Consignor

		Name and Address
State	Bihar	
District	Vaishali	BHARAT VATIKA NURSERY
Block	Hajipur	Mahatma Gandhi, Jadhu Bari Tola

2. Nature of nursery ownership

a ✓	Private	b	Public	c	Others

3. Type of nursery

a	Centralized	b ✓	Kisan	c	Mahila	d	Other types

4. Condition of Bamboo nursery

Poor	Average	Good	Very Good	Excellent
		✓		

5. Nursery Site: Soil

a	Sand	b	Sandy loam	c	Loam	c ✓	Clay loam	d	Clay

6. Name of Bamboo species

Scientific name	Trade name	Local name
Bambusa bambos	Katha Bans	Katha Bans

7. Mother Plant

a	Age of Culm	b	Dia. Culm	c	Length of internodes	d	Height of culm

8. Source / Location of mother plant. Dehradun, Uttrakhand

9. Flowering cycle of the particular species 30-45 years

10. Previous flowering record of the species from the area in case of vegetative propagated seedlings ________

11. Origin of Planting Material.

Origin	Method of Planting Material raised	
1. Seeds	✓	
2. Vegetative	Culm Cuttings/ Branch cutting	
	Layering	
	Macro proliferation	
	Others	

12. Fertilizer

a ✓	Organic	b	Inorganic	c	None

13. Use of Medicine:

Infestation	Name of Controlling Substance	Percentage/quantity of dose
Insect Infestation	Sapan Killer 500	
Fungal Infestation		

14. Standard of Planting Material

Sl. No.	Indicator	Standards	Existing	Marks
1	Age of Planting Material	6- 12 months	8 months	6
2	Number of tillers	Minimum 3 nos.	3-4	7
3	Seedling/Plant height	Minimum 30 cm	0.5-1.5 m	8
4	Roots and rhizome conditions	Well developed	✓	8
		Poorly developed		
		Not developed		
5	Insects pest infestation	Percentage (%)	Nil	8
6	Disease infestation	Percentage (%)	Nil	8

15. Average grade/ mark obtained: 7.5

16. Certified/ not certified for the Plantation purpose: Certified

17. Authorized Signature with Seal of certifying Committee/ Agency 03/12/09

CANE AND BAMBOO TECHNOLOGY CENTRE CBTC GUWAHATI-24

Date of Certification: 03/12/09

Place: Hajipur Validity from 03/12/09 to 02/12/2010

18. Countersigned by authorized assessor from CBTC-BTSG with date

N.B. Total mark / scale =10

Poor = 1-2	*Average = 3-4*	*Good = 5-6*	*Very Good= 7-8*	*Excellent=9-10*

418

NATIONAL BAMBOO MISSION
Department Of Agriculture and Cooperation, Minister Of Agriculture
Government of India

CBTC

oo Technical Support Group - Cane and Bamboo Technology Center (CBTC)
Narikal Basti, Zoo-Narengi Road, Guwahati-781024, Assam, India
Phone No: +91-361-2410242/ 2410886 Fax No: +91-361-2410250

Certificate of Bamboo Planting Material Developed from Seeds and Vegetative methods
(Except Tissue Culture)

ORIGINAL
SL. NO: BR 002

1. Address of the planting material Consignor

State	BIHAR	Name and Address
District	VAISHALI	BHARAT VATIAK NURSERY
Block	HAJIPUR	Mahatma Gandi, Jadhu Bari, Toli

2. Nature of nursery ownership a ✓ Private | b Public | c Others

3. Type of nursery a Centralized | b ✓ Kisan | c Mahila | d Other types

4. Condition of Bamboo nursery Poor | Average | ✓ Good | Very Good | Excellent

5. Nursery Site: Soil a Sand | b Sandy loam | c Loam | c ✓ Clay loam | d Clay

6. Name of Bamboo species

Scientific name	Trade name	Local name
Dendrocalamus strictus.	Lathi bans	Lathi Baus

7. Mother Plant a Age of Culm | b Dia. Culm | c Length of internodes | d Height of culm

8. Source / Location of mother plant. Dehradun, Uttrakhand

9. Flowering cycle of the particular species 25-45 years Reported

10. Previous flowering record of the species from the area in case of vegetative propagated seedlings ____

11. Origin of Planting Material.

Origin	Method of Planting Material raised	
1. Seeds		
2. Vegetative	Culm Cuttings/ Branch cutting ✓	
	Layering	
	Macro proliferation	
	Others	

12. Fertilizer a ✓ Organic | b Inorganic | c None

13. Use of Medicine:

Infestation	Name of Controlling Substance	Percentage/quantity of dose
Insect Infestation	Super Killer	
Fungal Infestation		

14. Standard of Planting Material

Sl. No.	Indicator	Standards	Existing	Marks
1	Age of Planting Material	6- 12 months	8 months	6
2	Number of tillers	Minimum 3 nos.	3-5	7
3	Seedling/Plant height	Minimum 30 cm	0.5 – 1.5 m	8
4	Roots and rhizome conditions	Well developed	✓	8
		Poorly developed		
		Not developed		
5	Insects pest infestation	Percentage (%)	—	8
6	Disease infestation	Percentage (%)	—	

15. Average grade/ mark obtained: 7.5

16. Certified/ not certified for the Plantation purpose: Certified

17. Authorized Signature with Seal of certifying Committee/ Agency [signature] 03/12/09

CANE AND BAMBOO TECHNOLOGY CENTRE CBTC GUWAHATI-24

Date of Certification: 03/12/09

Place: Hajipur Validity from 03/12/09 to 02/12/2010

18. Countersigned by authorized assessor from CBTC-BTSG with date [signature]

N.B. Total mark / scale -10

Poor = 1-2	Average = 3-4	Good = 5-6	Very Good = 7-8	Excellent = 9-10

(This certificate is valid for a period of one year from the date of issue)

119

पत्रांक– डी0–11–03/12– 726 /वि0,

आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर

(विकास शाखा)

प्रेषक,

आयुक्त,

मुंगेर प्रमडल, मुंगेर।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

सभी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान,

(मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर)

मुंगेर, दिनांक– 02 अप्रैल, 2012.

विषय :– मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय परिसर एवं अस्पताल परिसर में पौधारोपण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आगामी अगस्त, 2012 के पहले मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालय परिसर एवं सभी अस्पताल परिसर में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण कराया जाय। यह पौधारोपण इस प्रकार सुनिश्चित कराया जाय ताकि खेल–कूद का मैदान सुरक्षित रहे और हरियाली के लिए फलदार पौधा की कतार दिखाई पड़ें जो ग्रीन बोर्डर की भाँति सुगोचर हो।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ऐसे परिसरों की सूची प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे और वार्षिक कार्य योजना में यदि यह पौधारोपण की योजनाएँ सम्मिलित नहीं रहे तो इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–9106 दिनांक–16.07.2011 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देश के अनुसार योजनायें ली जा सकती है। वार्षिक कार्य योजना में ऐसी योजनायें सम्मिलित नहीं रहे तो जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व है कि ऐसी योजनाओं के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए पर्याप्त संख्या में

संबंधी योजनायें चयनित करायें। जिसे इस स्तर से भी सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जा चुका है।

विश्वासभाजन

आयुक्त, 2/4/2012
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :– डी0–11–03/12– /वि0, मुंगेर, दिनांक– अप्रैल, 2012.

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना
प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना,
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना,
माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना,
माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव, पटना,
माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना,
विकास आयुक्त, बिहार, पटना,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना
को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त, 2/4/2012
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
(विकास शाखा)

पत्रांक– डी0–11–03/12–994/वि0,

प्रेषक,

श्री एस0एम0राजू, भा0प्र0से0,
आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

मुंगेर, दिनांक– 17-05-2012

विषय :– मनरेगा योजनाओं का प्रखंड स्तर पर 100 प्रतिशत निरीक्षण तथा जिला स्तर पर 10 प्रतिशत निरीक्षण करने के प्रावधान के अनुसार निरीक्षण कर प्रतिवेदन को प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायतवार संधारण करने एवं मनरेगा दिशा–निर्देश तृतीय संस्करण अध्याय–9 के अनुसार पंजियों को ग्राम पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर संधारण करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्रीय भ्रमण में यह देखा गया है कि मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुसार प्रखंड स्तर पर पदस्थापित सभी मनरेगा कर्मी एवं पदाधिकारी को 100 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करना है तथा जिला स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी को 10 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करना है और इस निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायतवार तथा जिला स्तर पर प्रखंड वार संधारित करना आवश्यक है। लेकिन यह काम नहीं हो रहा है। इसी तरह मनरेगा दिशा–निर्देश तृतीय संस्करण अध्याय–9 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर पंजियों का संधारण करना चाहिए एवं ऑन लाईन भी करके हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों संधारित करना चाहिए। लेकिन इसको बहुतेक प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे कभी भी वित्तीय अनियमितता होना संभावित है। इसलिए उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं ।

2. पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता अपने आवंटित क्षेत्र की योजनाओं को निरीक्षण कर एक प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में देना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी इस निरीक्षण प्रतिवेदन को छँटनी करके ग्राम पंचायतवार प्रतिवेदन को हर ग्राम पंचायत के बॉक्स फाईल में संधारित करेंगे और उन कर्मचारी/पदाधिकारी का कभरिंग लेटर उनके व्यक्तिगत संचिका में संधारित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भी इसी तरह योजनाओं का निरीक्षण करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रखंड स्तर की योजनाओं का 100 प्रतिशत निरीक्षण हो।

3. हर ग्राम पंचायत के नाम पर एवं हर कर्मचारी/पदाधिकारी के नाम पर एक बॉक्स फाईल मनरेगा कार्यालय में संधारित रहेगा।
4. इसी तरह जिला स्तर के पदाधिकारी 10 प्रतिशत योजनाओं के काम का निरीक्षण करेंगे तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में ऐसा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रखंडवार संधारित किया जाएगा।

5. मनरेगा दिशा निर्देश तृतीय संस्करण अध्याय–9 के अनुसार निम्नांकित पंजियों को ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम पदाधिकारी संधारित करेंगे एवं इसमें ग्राम पंचायत का जो भी योजना चल रहा है, उसे वर्क्स रजिस्टर एवं एसेट रजिस्टर में ऑन लाईन कराकर हार्ड कॉपी ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम पदाधिकारी रखना सुनिश्चित करेंगे। अधोअंकित कॉलम–4 में जो पंजियाँ ग्राम पंचायत/कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर संधारित करने हेतु लिखा गया है, इसका अर्थ ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम पदाधिकारी दोनों स्तर पर पंजियों का संधारण समझा जाय।

[redacted]/प्रखंड कार्यालय में संधारित होनेवाली पंजियाँ :–

Sl. No.	Annexure of Guideline	Name of Register	Level at which Register is to be maintained.
1	2	3	4
1	B-4	Muster Roll Issue Register	Programme Officer at the Block level
2	B-5	Muster Roll Receipt Register	Gram Panchayat.
3	B-6	Muster Roll Receipt Register	Implementing Agency other than Gram Panchayat
4	B-7	Job Card Application Register	Gram Panchayat/Programme Officer
5	B-8	Job Card Register	Gram Panchayat/Programme Officer
6	B-9	Employment Register	Gram Panchayat/Programme Officer
7	B-10(i)	Works Register	Programme Officer/Gram Panchayat/ Other Implementing Agencies.
8	B-10(ii)	Assests Register	Programme Officer/Gram Panchayat/Other Implementing Agencies
9	B-11	Complaint Register	Programme Officer/Gram Panchayat/ Other Implementing Agencies
10	B-16 (A)	Monthly Allotment and Utilization Certificate Watch register.	DPC/Programme/Programme Officer/Other Implementing Agencies

6. इसके अतिरिक्त बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सरकारी कार्यालयों में संधारित की जाने वाली महत्त्वपूर्ण निम्नांकित पंजियों का भी संधारण किया जाय :–

1. उपस्थिति पंजी,
2. प्राप्त पत्रों की पंजी,
3. निर्गत पत्रों की पंजी,
4. अनुक्रमणी पंजी (संचिका के लिए)
5. निरीक्षण पंजी,
6. आवंटन पंजी,
7. भरपाई पंजी,

8. सामान्य रोकड़ बही,
9. चेक बुक पंजी,
10. आदेश पंजी,
11. बैंक रिकॉन्सिलियेशन पंजी,
12. उपस्थिति पंजी,
13. आकस्मिक अवकाश पंजी,

इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–06.05.12 को सभी उप विकास आयुक्त, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया है कि मनरेगा प्रभाग हर कार्यालय एवं हर ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर 14 जून 2012 तक उक्त सभी पंजियों को संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक इसकी अपने स्तर पर समीक्षा करके सभी पंजियों का युक्तियुक्त संधारण कराना सुनिश्चित करायेंगे जिसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी स्तर पर प्रमंडलीय बैठक में की जाएगी।

विश्वासभाजन

आयुक्त,
15/5/2012
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :– डी0–11–03/12–994/वि0, मुंगेर, दिनांक– 17-05-2012
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना,
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना,
प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, बिहार, पटना,
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।
15/5/2012

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना से संबंधित अभिलेख वित्तीय वर्ष.....

जिला– प्रखंड– ग्राम पंचायत–

योजना की पहचान सं0–
योजना का नाम –
लघु/सीमांत किसान का नाम–

	तिथि	आदेश फलक	
		1.....तारिख को..... रोजगारी द्वारा काम मांगने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र अनुसूचि...../प0 पर धारित है। 2 इनलोगों को रोजगार सृजन करने हेतु फलदार पौधा..... .....जगह में लगाने हेतु निर्णय लिया गया है। यह योजना तरिख.....को ग्राम सभा में पारित है और..... .....तारिख को जिला परिषद से अनुमोदित है/वार्षिक कार्य योजना/अनुपूरक कार्य योजना के कमांक.....पर अंकित है/यह जिला परिषद को अनुमोदन हेतु.....तारिख को भेजा गया है लेकिन 15 दिनों के अन्दर पारित कर नहीं भेजने के वजह से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया है। 3 .....ईकाई फलदार पौधों की सिचाई के लिए सिचाई श्रोत विकासित करना जरूरी है और यह चापाकल/नलकूप का मानक प्राक्कलित राशि पी0एच0ई0डी0 से तकनिकि स्वीकृति प्राप्त होकर प्राक्कलन अभिलेख में संलग्न है जो...../प0 पर है। 4 .....परिवारों को लगातार रोजगार देने हेतु..... .....यूनिट फलदार पौधा लगाने का निर्णय लिया गया है उसकी प्राक्कलित राशि.....रूपये का प्राक्कलन..... /प0 पर है। कमांक–3 एवं उक्त में निहित प्राक्कलित राशि मो0..... .....की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत की जाती है। 5 इन उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुसार स्वीकृति आदेश दिया जाता है और इस स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्यादेश की प्रति सभी संबंधित लघु/सीमांत किसान को दिया जाता है। पंचायत रोजगार सेवक मुखिया	

फार्म सं.– 1बी

काम के लिए बी0पी0एल0/लघु सीमांत किसान अपने जमीन पर बाँस पौधारोपण कराने हेत आवेदन फार्म

सेवा में,
मुखिया
ग्राम पंचायत.....
प्रखंड.....
जिला.....

तिथि.....

सेवा में,
कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रखंड.....
जिला.....

आवेदन कोड.....
(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

बिषय :– काम के लिए अवेदन।

महाशय/महोदया

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 3 (1) तथा अनुसूचि 11 के पारा–9 के अन्तर्गत काम के लिए अपने ही जमीन पर फलदार पौधारोपण करवाना चाहता हूँ और उसमे मैं एवं अपना परिवार खुद काम करना चाहता हूँ जिसका आवेदन समर्पित करता हूँ। हमारे बारे में विस्तृत सूचनाएँ एवं मांग की गयी काम की अवधि निम्नवत है :–

क.सं.	आवेदक का नाम पिता/पति के नाम के साथ	पता	जॉब कार्ड सं.	काम की आवश्यकता की अवधि		पालना की आवश्यकता (हाँ/ना)	आवेदक का हस्ताक्षर या बायें हाँथ की अंगूठे का निशान
				तिथि से	अवधि तक		

2– मेरे जमीन का विवरण निम्नांकित है –

मौजा/थाना नं0– खाता– खेसरा– रकवा–

3– मैं अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बी0पी0एल0 परिवार/लघु सिमांत किसान की श्रेणी मे आता हूँ मनरेगा की अधिसूचना SO2202E दिनांक–22.09.2011 के आलोक में अनुसूचि–1 के उप पैरा–4 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को सिचाई सुविधा/बागवानी/भू–विकास सुविधा उपलब्ध कराने का उपबंध है। तद्नुसार बाँस पौधारोपण हेतु 100 दिन का रोजगार दिया जाय।

4–तद्नुसार अनुरोध है कि .....फलदार पौधा अपने जमीन पर लगाने एवं सिचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए 100 दिन का रोजगार अधोहस्ताक्षरी को देने की कृपा की जाय।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रेषक

.....

सेवा में,

मुखिया / सरपंच / हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक / अंचल अधिकारी
ग्रा0 प0..... / हल्का सं0..... / अंचल.....

बिषय :– अधोहस्ताक्षरी को फलदार पौधारोपण कार्य के लिए लघु / सीमांत किसान के प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में।

महाशय,

मेरी ज़मीन का विवरण निम्नांकित है.....

मौजा / थाना नं0–	खाता–	खेसरा–	रकवा–
1			
2			

कुल रकवा.....है। इसके आधार पर मैं लघु / सीमांत किसान की श्रेणी में आता हूँ इसलिए मनरेगा के अन्तर्गत फलदार पौधारोपण कराने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(आवेदक का हस्ताक्षर)

उपरोक्त कथन सत्य है।

मुखिया का हस्ताक्षर / सरपंच का हस्ताक्षर

उपरोक्त सत्यापन के अनुसार मैने हल्का के कागजातों को देखा। तदनुसार ये लघु / सीमांत किसान के श्रेणी में आते हैं। प्रतिहस्ताक्षर किया।

हल्का कर्मचारी
का हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक
का हस्ताक्षर

उपरोक्त मुखिया सरपंच के सत्यापन और हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर के अनुसार मैने सत्यापन किया।

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर
अंचल.....

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर लघु सीमांत किसान द्वारा फलदार पौधारोपण योजना का स्वीकृत्यादेश

जिला– प्रखंड– ग्राम पंचायत–

1. योजना की पहचान सं0 एवं किसान/किसानो का बी0पी0एल0 सं0 :– .....
2. योजना का नाम :– फलदार पौधारोपण

   मौजा– खाता– खेसरा– रकवा–
3. क्रियान्वयन निकाय :– ग्राम पंचायत
4. किसान/किसानों का नाम, जॉबकार्ड सं0 एवं पता :–.....
5. प्राक्कलित राशि एवं तकनीकी स्वीकृत राशि :– .....
6. प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :–
7. स्वीकृति की शर्ते :–

क. योजना के क्रियान्वयन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

ख. उक्त योजना का क्रियान्वयन बी0पी0एल0 परिवार/ लघु एवं सीमांत किसान की जमीन में होगा । मास्टर रॉल का नियमानुसार संधारण किया जायेगा तद्नुसार MIS entry की जायेगी। उचित मजदूरी का भुगतान किसान के बचत खाता में ही किया जाएगा तथा समय–समय पर निगरानी अनुश्रवण एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा। इस योजना का देखभाल किसान एवं उनके परिवार वाले ही करेगे।

ग. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व दृश्टिगोचर स्थान पर कार्य के पूर्व RCC/ या लोहा के सूचना पट्ट लगाकर विहित प्रपत्र में सूचना अंकित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ के पूर्व एवं प्रत्येक तीन माह पर कार्य स्थल का डीजिटल रंगीन फोटोग्राफ खीचकर अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

घ. मस्टर चक्र (Muster roll) का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। उत्तर बिहार के ग्राम पंचायत में 90% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। 75%से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। दक्षिण बिहार में 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा।दक्षिण बिहार के ग्राम पंचायत में 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू0/पौधा/माह की दर से, 65% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा।

ड़ इस योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बी0पी0एल0/लघु एवं सीमांत किसान को लिया जाएगा।

च. फलदार पौधो को देखभाल करने के लिए 5 साल तक हर साल पहले साल को छोड़कर गर्मी के मौसम में (मार्च, अप्रैल, मई) 100 दिन की मजदूरी दी जायेगी और 5 साल के बाद किसान खुद देख भाल करेंगे और सारी संपति उनकी होगी।

छ. किसानो की इच्छानुसार सिर्फ कलमी फलदार पौधा ही लगाया जायेगा।

ज. लघु/सीमांत किसान के जमीन का खाता, खेसरा का अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

किसानो की विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	किसान का नाम	जॉब कार्ड संख्या	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	पौधों की संख्या
01							
02							
03							
04							
05							

मुखिया/कार्यक्रम पदाधिकारी

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि – ग्राम पंचायत/कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

मुखिया/कार्यक्रम पदाधिकारी

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर लघु/सीमांत किसान द्वारा फलदार पौधारोपण योजना का कार्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना की पहचान संख्या :– .....
2. लघु/सीमांत किसान/किसानों का नाम एवं जॉबकार्ड सं0 :–.....
3. लगाये गये पौधों का विवरण :–

(क) बड़ा फलदार (जामुन/कटहल/आम/लिची इत्यादि)–

(ख) छोटा फलदार (अमरूद/नीबू/अनार/सहजन इत्यादि)–

4. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :–.....
5. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि :– 6. कार्य पूर्ण होने की तिथि :–
7. मस्टर चक (Muster roll) का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। उत्तर बिहार के ग्राम पंचायत में 90% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। 75%से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। दक्षिण बिहार क ग्राम पंचायत में 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू0/पौधा/माह की दर से, 65% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू0/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा।
8. इस योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बी0पी0एल0/लघु एवं सीमांत किसान को लिया जाएगा।

किसानो की विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	किसान का नाम	जॉब कार्ड संख्या	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	पौधों की संख्या
01							
02							
03							
04							
05							

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि – श्री/श्रीमति ...../पिता/पति.....को प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

जिला का नाम..... प्रखंड का नाम.....ग्राम पंचायत.....

साप्ताहिक मापी प्रपत्र

सामाजिक वानिकी एवं बागवानी योजना में

1. अभिकर्त्ता का नाम :— ग्राम पंचायत.....किसान का नाम.....

2. योजना के मद मे प्राक्कलित राशि.....

3. कुल लगाये गये पौधो की संख्या.....

कम सं0	निरीक्षण की तिथि	जीवित पौधे		मृत पौधों के स्थान पर पुनः लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की औसत उँचाई	जॉबकार्ड संख्या एवं जॉब कार्डधारी का हस्ताक्षर	निरीक्षि पदाधिकारी का हस्तक्षर जी.पी./पं0रो0से0 /पी.टी.ए. /जे.ई.
		संख्या	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

नोट :— यह मापी पत्र हर संचिका में उपलब्ध रहेगा और योजना समाप्त होने तक सप्ताहिक इन्ट्री होता रहेगा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर बाँस पौधारोपण योजना से संबंधित अभिलेख वित्तीय वर्ष.....

जिला– प्रखंड– ग्राम पंचायत–

योजना की पहचान सं0–
योजना का नाम –
लघु/सीमांत किसान का नाम–

	तिथि	आदेष फलक	
		1.....तारिख को..... रोजगारी द्वारा काम मांगने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र अनुसूचि...../प0 पर धारित है। 2 इनलोगों को रोजगार सृजन करने हेतु फलदार पौधा..... .....जगह में लगाने हेतु निर्णय लिया गया है। यह योजना तरिख.....को ग्राम सभा में पारित है और..... .....तारिख को जिला परिषद से अनुमोदित है/वार्षिक कार्य योजना/अनुपूरक कार्य योजना के कमांक.....पर अंकित है/यह जिला परिषद को अनुमोदन हेतु.....तारिख को भेजा गया है लेकिन 15 दिनों के अन्दर पारित कर नहीं भेजने के वजह से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पचायत द्वारा निर्णय लिया गया है। 3 .....ईकाई फलदार पौधों की सिचाई के लिए सिचाई श्रोत विकासित करना जरूरी है और यह चापाकल/नलकूप का मानक प्राक्कलित राशि पी0एच0ई0डी0 से तकनिकि स्वीकृति प्राप्त होकर प्राक्कलन अभिलेख में संलग्न है जो...../प0 पर है। 4 .....परिवारों को लगातार रोजगार देने हेतु..... .....यूनिट फलदार पौधा लगाने का निर्णय लिया गया है उसकी प्राक्कलित राशि.....रूपये का प्राक्कलन..... /प0 पर है। कमांक–3 एवं उक्त में निहित प्राक्कलित राशि मो0..... .....की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत की जाती है। 5 इन उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुसार स्वीकृति आदेश दिया जाता है और इस स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्यादेश की प्रति सभी संबंधित लघु/सीमांत किसान को दिया जाता है। पंचायत रोजगार सेवक मुखिया	

फार्म सं.– 1बी
काम के लिए बी0पी0एल/लघु सीमांत किसान द्वारा अपने जमीन पर बाँस पौधारोपण कराने हेत आवेदन फार्म

सेवा में,
मुखिया
ग्राम पंचायत.....
प्रखंड.....
जिला.....

तिथि.....

सेवा में,
कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रखंड.....
जिला.....

आवेदन कोड.....
(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

बिषय :– काम के लिए अवेदन।
महाशय/महोदया

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 3 (1) तथा अनुसूचि 11 के पारा–9 के अन्तर्गत काम के लिए अपने ही जमीन पर बाँस पौधारोपण करवाना चाहता हूँ.और उसमे मैं एवं अपना परिवार खुद काम करना चाहता हूँ जिसका आवेदन समर्पित करता हूँ। हमारे बारे में विस्तृत सूचनाएँ एवं मांग की गयी काम की अवधि निम्नवत है :–

क.सं.	आवेदक का नाम पिता/पति के नाम के साथ	पता	जॉब कार्ड सं.	काम की आवश्यकता की अवधि		पालना की आवश्यकता (हाँ/ना)	आवेदक का हस्ताक्षर या बायें हाँथ की अंगूठे का निशान
				तिथि से	अवधि तक		

मेरे जमीन का विवरण निम्नांकित है – '

मौजा/थाना नं0– खाता– खेसरा– रकवा–

मैं अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बी0पी0एल0 परिवार/लघु सिमांत किसान की श्रेणी मे आता हूँ मनरेगा की अधिसूचना SO2202E दिनांक–22.09.2011 के आलोक में अनुसूचि–1 के उप पैरा–4 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को सिचाई सुविधा/भू–विकास सुविधा उपलब्ध कराने का उपबंध है। तदनुसार बाँस पौधारोपण हेतु 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रेषक

.....

सेवा में,

मुखिया / सरपंच / हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक / अंचल अधिकारी
ग्रा0 प0..... / हल्का सं0..... / अंचल.....

बिषय :– अधोहस्ताक्षरी को फलदार पौधारोपण कार्य के लिए लघु / सीमांत किसान के प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में।

महाशय,

मेरी जमीन का विवरण निम्नांकित है.....

मौजा / थाना नं0–	खाता–	खेसरा–	रकवा–
1			
2			

कुल रकवा.....है। इसके आधार पर मैं लघु / सीमांत किसान की श्रेणी में आता हूँ, इसलिए मनरेगा के अन्तर्गत फलदार पौधारोपण कराने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(आवेदक का हस्ताक्षर)

उपरोक्त कथन सत्य है।

मुखिया का हस्ताक्षर / सरपंच का हस्ताक्षर

उपरोक्त सत्यापन के अनुसार मैने हल्का के कागजातों को देखा। तद्नुसार ये लघु / सीमांत किसान के श्रेणी में आते हैं। प्रतिहस्ताक्षर किया।

हल्का कर्मचारी
का हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक
का हस्ताक्षर

उपरोक्त मुखिया सरपंच के सत्यापन और हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर के अनुसार मैने सत्यापन किया।

अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर
अंचल.....

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर लघु/सीमांत किसान द्वारा बाँस पौधारोपण योजना का कार्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना की पहचान संख्याः–.....
2. लघु/सीमांत किसान का नाम/जॉबकार्ड सं0 :–.....
3. लगाये गये बाँस पौधों का विवरण :–.....
4. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :–.....
5. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि :–
6. कार्य पूर्ण होने की तिथि :–
7. मस्टर चक्र (**Muster roll**) का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। उत्तर बिहार के ग्राम पंचायत में 90% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50 रू/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। दक्षिण बिहार के ग्राम पंचायत में 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू/पौधा/माह की दर से, 65% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू/पौधा माह की दर से भुगतान होगा।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री/श्रीमति...../पिता/पति.....को प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी जमीन पर बाँस पौधारोपण योजना के लिए स्वीकृत्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना की पहचान संख्या :–.....
2. योजना का नाम :–.....
3. कियान्वयन निकाय :–ग्राम पंचायत.....
4. प्राक्कलित राशि एवं तकनीकी स्वीकृत राशि:–.....
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
6. स्वीकृति की शर्ते :–

क. योजना का क्रियान्वयन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निहित प्रावधानो के अनुसार होगा।

ख. योजना के क्रियान्वयन में केवल जॉब कार्डधारी मजदूर ही काम करेंगे। मास्टर रॉल नियमानुसार संधारण किया जायेगा तदनुसार **MIS entry** की जायेगी। उचित मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बचत खाता में हीं किया जाएगा तथा समय–समय पर निगरानी अनुश्रवण एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

ग. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व दृष्टिगोचर स्थान पर कार्य के पूर्व **RCC** / या लोहा के सूचना पट्ट लगाकर विहित प्रपत्र में सूचना अंकित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ के पूर्व एवं प्रत्येक तीन माह पर कार्य स्थल का डीजिटल रंगीन फोटोग्राफ खीचकर अभिलेख में संधारित किया जायेगा। कार्य स्थल पर नियमानुसार पेयजल प्राथमिकी उपचार एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

घ मस्टर चक्र (**Muster roll**) का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। 200 गढ़ा में 1000 बाँस पौधा के एक यूनिट को 5 साल तक लगातार देखभाल करना है और पौधों की जीवित संख्या के आधार पर उत्तर बिहार एवं दक्षिणी बिहार के लिए भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी यथा – उत्तर बिहार के ग्राम पंचायत में 90%से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू / पौधा / माह की दर से भुगतान होगा। 75%से ज्यादा पौधा जीवित तो 3.50रू / पौधा / माह की दर से भुगतान होगा। दक्षिण बिहार के ग्राम पंचायत में 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू / पौधा / माह की दर से 65% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू / पौधा / माह की दर से भुगतान होगा।

ड़ इस योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बी0पी0एल0 / लघु / सीमांत किसान को लिया जायगा।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रमुख / कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–पंचायत तकनीकी सहायक / कनीक अभियंता / सहायक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

जिला का नाम..... प्रखंड का नाम.....ग्राम पंचायत.....

साप्ताहिक मापी प्रपत्र

सामाजिक वानिकी एवं बागवानी योजना में

1. अभिकर्त्ता का नाम :– ग्राम पंचायत.....किसान का नाम.....
2. योजना के मद मे प्राक्कलित राशि.....
3. कुल लगाये गये पौधो की संख्या.....

क्रम सं0	निरीक्षण की तिथि	जीवित पौधे		मृत पौधों के स्थान पर पुनः लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की औसत उँचाई	जॉबकार्ड संख्या एवं जॉब कार्डधारी का हस्ताक्षर	निरीक्षि पदाधिकारी का हस्ताक्षर जी.पी./पं0रो0से0 /पी.टी.ए. /जे.ई.
		संख्या	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

नोट :– यह मापी पत्र हर संचिका में उपलब्ध रहेगा और योजना समाप्त होने तक सप्ताहिक इन्ट्री होता रहेगा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना से संबंधित अभिलेख वित्तीय वर्ष.....

जिला– प्रखंड– ग्राम पंचायत–

योजना की पहचान सं0–

योजना का नाम –

	तिथि	आदेष फलक	
		1.....तारिख को..... रोजगारी द्वारा काम मांगने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र अनुसूचि...../प0 पर धारित है। 2 इनलोगों को रोजगार सृजन करने हेतु फलदार पौधा..... .....जगह में लगाने हेतु निर्णय लिया गया है। यह योजना तरिख.....को ग्राम सभा में पारित है और..... .....तारिख को जिला परिषद से अनुमोदित है/वार्षिक कार्य योजना/अनुपूरक कार्य योजना के क्रमांक.....पर अंकित है/यह जिला परिषद को अनुमोदन हेतु.....तारिख को भेजा गया है लेकिन 15 दिनों के अन्दर पारित कर नहीं भेजने के वजह से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया है। 3 .....ईकाई फलदार पौधों की सिचाई के लिए सिचाई श्रोत विकासित करना जरूरी है और यह चापाकल/नलकूप का मानक प्राक्कलित राशि पी0एच0ई0डी0 से तकनिकि स्वीकृति प्राप्त होकर प्राक्कलन अभिलेख में संलग्न है जो...../प0 पर है। 4 .....परिवारों को लगातार रोजगार देने हेतु..... .....यूनिट फलदार पौधा लगाने का निर्णय लिया गया है उसकी प्राक्कलित राशि.....रूपये का प्राक्कलन..... /प0 पर है। क्रमांक–3 एवं उक्त में निहित प्राक्कलित राशि मो0..... .....की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। 5 इन उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुसार स्वीकृति आदेश दिया जाता है और इस स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्यादेश की प्रति सभी संबंधित लघु/सीमांत किसान को दिया जाता है। पंचायत रोजगार सेवक मुखिया	

फार्म सं.– 1बी
काम के लिए संयुक्त आवेदन फार्म

सेवा में,
मुखिया
ग्राम पंचायत.....
प्रखंड.....
जिला.....

तिथि.....

सेवा में,
कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रखंड.....
जिला.....

आवेदन कोड.....
(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :– काम के लिए संयुक्त अवेदन।

महाशय/महोदया

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 3 (1) तथा अनुसूचि 11 के पारा–9 के अन्तर्गत काम के लिए संयुक्त आवेदन समर्पित करते हैं। हमारे बारे में विस्तृत सूचनाएँ एवं मांग की गयी काम की अवधि निम्नवत है :–

क्र.सं.	आवेदक का नाम पिता/पति के नाम के साथ	पता	जॉब कार्ड सं.	काम की आवश्यकता की अवधि		पालना की आवश्यकता (हाँ/ना)	आवेदक का हस्ताक्षर या बायें हाँथ की अंगूठे का निशान
				तिथि से	अवधि तक		

हम लोग कम से कम 14 दिनों तक लगातार आवंटित काम को करने के लिए इच्छुक हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना के लिए स्वीकृत्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना की पहचान संख्या :–.....
2. योजना का नाम :–.....
3. कियान्वयन निकाय :–ग्राम पंचायत.....
4. प्राक्कलित राशि एवं तकनीकी स्वीकृत राशि:–.....
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
6. स्वीकृति की शर्ते :–

क. योजना के कियान्वयन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निहित प्रावधानो के अनुसार होगा।

ख. योजना के कियान्वयन के केवल जॉब कार्डधारी मजदूर ही काम करेंगे। मास्टर रॉल नियमानुसार संधारण किया जायेगा तदनुसार **MIS entry** की जायेगी। उचित मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बचत खाता में हीं किया जाएगा तथा समय–समय पर निगरानी अनुश्रवण एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

ग. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व दृष्टिगोचर स्थान पर कार्य के पूर्व **RCC** / या लोहा के सूचना पट्ट लगाकर विहित प्रपत्र में सूचना अंकित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ के पूर्व एवं प्रत्यके तीन माह पर कार्य स्थल का डीजिटल रंगीन फोटोग्राफ खीचकर अभिलेख में संधारित किया जायेगा। कार्य स्थल पर नियमानुसार पेयजल प्राथमिकी उपचार एवं अन्य सुविधा कराया जायेगा।

घ मस्टर चक (**Muster roll**) का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा। 200 फलदार पौधा के एक यूनिट को 5 साल तक लगातार देखभाल करना है और पौधों की जीवित संख्या के आधार पर उत्तर बिहार एवं दक्षिणी बिहार के लिए भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी यथा – उत्तर बिहार के ग्राम पंचायत में 90**%**से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो7रू / पौधा / माह की दर से भुगतान होगा। 75**%**से ज्यादा पौधा जीवित तो 3.50रू / पौधा / माह की दर से भुगतान होगा। दक्षिण बिहार के ग्राम पंचायत में 75**%** से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू / पौधा / माह की दर से 65**%** से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू / पौधा / माह की दर से भुगतान होगा।

ड़ इस योजना में सिर्फ वृद्ध / विकलांग एवं महिला को प्राथमिकता दिया जाये।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रमुख / कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–पंचायत तकनीकी सहायक / कनीक अभियंता / सहायक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर फलदार पौधारोपण योजना का कार्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना का नाम एवं संख्या :–.....
2. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– .....
3. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि :– .....
4. कार्य पूर्णता की अवधि :– .....
5. इस योजना में केवल वृद्ध, विकलांग एवं महिला लोगों को प्राथमिकता दिया गया है।
6. निम्नांकित परिवारों के द्वारा सप्ताहिक चक्र के अनुसार कार्य का देखाभाल किया जाएगा।
7. इस योजना में लगातार पाँच साल तक जोड़े गये एक ही जाति के वनपोषको के नाम जॉबकार्ड सं0 एवं पिता/पति के नाम /उम्र

1.....2.....

3.....4.....

5.....6.....

7.....8.....

9.....10.....

11.....12.....

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि – सभी उपरोक्त वनपोषक श्री/श्रीमति...../पिता/पति

.....को प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

जिला का नाम..... प्रखंड का नाम.....ग्राम पंचायत.....

साप्ताहिक मापी प्रपत्र

सामाजिक वानिकी एवं बागवानी योजना में

1. अभिकर्त्ता का नाम :— ग्राम पंचायत.....किसान का नाम.....

2. योजना के मद मे प्राक्कलित राशि.....

3. कुल लगाये गये पौधो की संख्या.....

कम सं0	निरीक्षण की तिथि	जीवित पौधे		मृत पौधों के स्थान पर पुनः लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की औसत उँचाई	जॉबकार्ड संख्या एवं जॉब कार्डधारी का हस्ताक्षर	निरीक्षि पदाधिकारी का हस्ताक्षर जी.पी./पं०रो०से० /पी.टी.ए. /जे.ई.
		संख्या	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

नोट :— यह मापी पत्र हर संचिका में उपलब्ध रहेगा और योजना समाप्त होने तक सप्ताहिक इन्ट्री होता रहेगा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर बाँस पौधारोपण योजना से संबंधित अभिलेख वित्तीय वर्ष.....

जिला–　　प्रखंड–　　ग्राम पंचायत–

योजना की पहचान सं0–
योजना का नाम –
लघु/सीमांत किसान का नाम–

	तिथि	आदेष फलक	
		1.....तारिख को..... रोजगारी द्वारा काम मांगने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र अनुसूचि...../प0 पर धारित है। 2 इनलोगों को रोजगार सृजन करने हेतु फलदार पौधा..... .....जगह में लगाने हेतु निर्णय लिया गया है। यह योजना तरिख.....को ग्राम सभा में पारित है और..... .....तारिख को जिला परिषद से अनुमोदित है/वार्षिक कार्य योजना/अनुपूरक कार्य योजना के क्रमांक.....पर अंकित है/यह जिला परिषद को अनुमोदन हेतु.....तारिख को भेजा गया है लेकिन 15 दिनों के अन्दर पारित कर नहीं भेजने के वजह से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया है। 3 .....ईकाई फलदार पौधों की सिचाई के लिए सिचाई श्रोत विकासित करना जरूरी है और यह चापाकल/नलकूप का मानक प्राक्कलित राशि पी0एच0ई0डी0 से तकनिकि स्वीकृति प्राप्त होकर प्राक्कलन अभिलेख में संलग्न है जो...../प0 पर है। 4 .....परिवारों को लगातार रोजगार देने हेतु..... .....यूनिट फलदार पौधा लगाने का निर्णय लिया गया है उसकी प्राक्कलित राशि.....रूपये का प्राक्कलन..... /प0 पर है। क्रमांक–3 एवं उक्त में निहित प्राक्कलित राशि मो0..... .....की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। 5 इन उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुसार स्वीकृति आदेश दिया जाता है और इस स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्यादेश की प्रति सभी संबंधित लघु/सीमांत किसान को दिया जाता है। पंचायत रोजगार सेवक　　मुखिया	

फार्म सं.– 1बी

काम के लिए संयुक्त आवेदन फार्म

सेवा में,
मुखिया
ग्राम पंचायत...............................
प्रखंड...
जिला...

तिथि...........................

सेवा में,
कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रखंड...
जिला...

आवेदन कोड...............................
(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

बिषय :– काम के लिए संयुक्त अवेदन।

महाशय/महोदया

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 3 (1) तथा अनुसूचि 11 के पारा–9 के अन्तर्गत काम के लिए संयुक्त आवेदन समर्पित करते हैं। हमारे बारे में विस्तृत सूचनाएँ एवं मांग की गयी काम की अवधि निम्नवत है :–

क.सं.	आवेदक का नाम पिता/पति के नाम के साथ	पता	जॉब कार्ड सं.	काम की आवश्यकता की अवधि		पालना की आवश्यकता (हाँ/ना)	आवेदक का हस्ताक्षर या बायें हाँथ की अंगूठे का निशान
				तिथि से	अवधि तक		

[illegible] कम से कम 14 दिनों तक लगातार आवंटित काम को करने के लिए इच्छुक हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर बाँस पौधारोपण योजना के लिए स्वीकृत्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना की पहचान संख्या :–.....
2. योजना का नाम :–.....
3. कियान्वयन निकाय :–ग्राम पंचायत.....
4. प्राक्कलित राशि एवं तकनीकी स्वीकृत राशि:–.....
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
6. स्वीकृति की शर्ते :–

क. योजना का क्रियान्वयन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निहित प्रावधानो के अनुसार होगा।

ख. योजना के क्रियान्वयन में केवल जॉब कार्डधारी मजदूर ही काम करेंगे। मास्टर रॉल नियमानुसार संधारण किया जायेगा तदनुसार **MIS entry** की जायेगी। उचित मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बचत खाता में हीं किया जाएगा तथा समय–समय पर निगरानी अनुश्रवण एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

ग. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व दृष्टिगोचर स्थान पर कार्य के पूर्व **RCC** / या लोहा के सूचना पट्ट लगाकर विहित प्रपत्र में सूचना अंकित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ के पूर्व एवं प्रत्येक तीन माह पर कार्य स्थल का डीजिटल रंगीन फोटोग्राफ खीचकर अभिलेख में संधारित किया जायेगा। कार्य स्थल पर नियमानुसार पेयजल प्राथमिकी उपचार एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

घ मस्टर चक्र (**Muster roll**) का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। 200 गढ़ा में 1000 बाँस पौधा के एक यूनिट को 5 साल तक लगातार देखभाल करना है और पौधों की जीवित संख्या के आधार पर उत्तर बिहार एवं दक्षिणी बिहार के लिए भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी यथा – उत्तर बिहार के ग्राम पंचायत में 90%से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। 75%से ज्यादा पौधा जीवित तो 3.50रू/ पौधा/माह की दर से भुगतान होगा। दक्षिण बिहार के ग्राम पंचायत में 75% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 7रू/पौधा/माह की दर से 65% से ज्यादा पौधा जीवित रहे तो 3.50रू/पौधा/माह की दर से भुगतान होगा।

ड़ इस योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बी0पी0एल0/लघु/सीमांत किसान को लिया जायगा।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रमुख/कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–पंचायत तकनीकी सहायक/कनीक अभियंता/सहायक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर बाँस पौधारोपण योजना का कार्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

1. योजना का नाम एवं संख्या :-.....

2. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- .....

3. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि :- 4. कार्य पूर्णता की अवधि :- .....

5. इस योजना में केवल वृद्ध, विकलांग एवं महिला लोगों को प्राथमिकता दिया गया है।

6. निम्नांकित परिवारों के द्वारा सप्ताहिक चक के अनुसार कार्य का देखाभाल किया जाएगा।

7. इस योजना में लगातार पहले दो साल तक जोड़े गये एक ही जाति के वनपोषको के नाम, जॉबकार्ड सं0 एवं पिता/पति के नाम /उम्र

1.....2.....

3.....4.....

5.....6.....

7.....8.....

9.....10.....

11.....12.....

13.....14.....

15.....16.....

8. अगले तीन साल के लिए चार परिवार (प्राथमिकता वृद्ध को ही) लॉटरी से लिया जाएगा।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि – सभी उपरोक्त वनपोषक श्री/श्रीमति...../पिता/पति

.....को प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

जिला का नाम..... प्रखंड का नाम.....ग्राम पंचायत.....

साप्ताहिक मापी प्रपत्र

सामाजिक वानिकी एवं बागवानी योजना में

1. अभिकर्त्ता का नाम :— ग्राम पंचायत.....किसान का नाम.....

2. योजना के मद मे प्राक्कलित राशि.....

3. कुल लगाये गये पौधो की संख्या.....

कम सं0	निरीक्षण की तिथि	जीवित पौधे		मृत पौधों के स्थान पर पुनः लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की औसत उँचाई	जॉबकार्ड संख्या एवं जॉब कार्डधारी का हस्ताक्षर	निरीक्षि पदाधिकारी का हस्ताक्षर जी.पी./पं0रो0से0 /पी.टी.ए. /जे.ई.
		संख्या	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

नोट :— यह मापी पत्र हर संचिका में उपलब्ध रहेगा और योजना समाप्त होने तक साप्ताहिक इन्ट्री होता रहेगा।

मनेरगा योजनान्तर्गत समाजिक वानिकी पौधारोपण योजना में मेट रखने का अभिलेख

1. योजना की पहचान संख्या–
2. मेट का नाम–

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति

...../प0 पर 40 यूनिट (फलदार एवं बाँस पौधा एवं अन्य) पौधारोपण की योजना को देखभाल करने हेतु एग्रो फॉरेस्ट्री/फॉर्म फॉरेस्ट्री के दिषा–निर्देश के पैरा–17.1 के आलोक में 40 वन्पोषको अर्थात 40 पौधा के यूनिट (200 पौधा के लिए 1 यूनिट)को पाँच साल तक देखने हेतु ग्रामीण विकास के पत्रांक–10, दिनांक–02.01.2007 के आलोक में.....तारिख ग्राम सभा में 15 दिन के रोस्टर के अनुसार 100 दिन काम करने हेतु 5 साल के लिए निम्नांकित अनुसूचित जाति के रोजगारों को चयनित किया गया है।

क्रमांक	मेट का नाम एवं पता	जॉबकार्ड संख्या
1		
2		
3		
4		

2– उक्त एग्रो फॉरेस्ट्री/फॉर्म फॉरेस्ट्री के पैरा–18 एवं विभाग के पत्रांक–9291, दिनांक–22.08.2011 के पैरा–6 के अनुसार...../प0 पर दिये गये 40 यूनिट पौधारोपण योजना को देखने हेतु उपर्युक्त अंकित का दायित्व रहता है। 40 फलदार पौधारोपण की योजनाओं की सूची...../प0 पर है।

(3) मेट का दायित्व :–

क– मेट द्वारा समूह के सभी सदस्यों को निर्धारित कार्यक्षेत्र, रोस्टर की अवधि, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने हेतु कितने पौधों को जीवित रखना है इत्यादि से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराना।

ख– प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ होने से पहले लगरत मजदूरों की हाजिरी लेना एवं मॉस्टर रौल संधारण करना तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्त्ता को मॉस्टर रौल उपलब्ध कराना।

ग– विहित प्रपत्र में हर सप्ताह पौधा का आकलन कर पंचायत रोजगार सेवक को प्रतिवेदन देना।

4– एक परिवार के 100 दिवस की मजदूरी की पात्रता पूर्ण होने पर जॉबकार्ड में लाल स्याही से अंकित करना।

5– फस्ट–ऐड–बॉक्स रखना। फस्ट–ऐड–बॉक्स में परिवार कल्याण का समान यथा– निरोध (कंडोम), पिल्स, एवं अन्य आवश्यक दवायें जो आशा कार्यकर्त्ता के पास उपलब्ध रहता है उसे भी उपलब्ध कराना।

6– श्रमिकों द्वारा पौधों की समुचित रख–रखाव की प्रक्रिया यथा–खाद डालना, किट ये बचाव हेतु कीटनाशक डालना, पटवन कराना तथा मृत पौधों को बदलाव कराने पर परामर्श देना।

7– जॉब कार्डधारियों का डाकघर/बैंक में बचत खाता खोलना।

8– श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने हेतु सहयोग करना।

9– दूसरी किस्त देने के पहले लाभार्थी से आवेदन पत्र लेकर उसका स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करते हुए पंचायत रोजगार सेवक से सत्यापित कराकर डाकघर या बैंक से भुगतान कराना।

10– कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश का अनुपालन करना।

11– श्रमिकों की विश्राम की अवधि में मेट द्वारा उन्हें साक्षर बनाने (हस्ताक्षर करने से लेकर पढ़ाई लिखाई करने तक) का काम किया जाएगा, इसके लिए आवष्यक स्लेट एवं अन्य सामग्री योजना के आकस्मिकता मद से मेट को उपलब्ध कराया जाएगा, मेट द्वारा श्रमिकों को परिवार नियोजन, टीकाकरण के फायदों तथा बाल विवाह एवं शराब सेवन के बुराईयों के बारे में भी बताया जाएगा।

नोट– (i) मेट को अकुशल श्रमिक से 10 रुपया अधिक प्रतिकार्य दिवस के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(ii) मेट पर होनेवाले व्यय की गणना सामग्री मद में की जाएगी।

(iii) मेट को हर 15 दिन पर रोस्टर के अनुसार बदला जाएगा।

(iv) इन मेटों को अकुशल मजदूर के अतिरिक्त श्रमिक से 10 रुपया अधिक मिलेगा यह सूची मनरेगा योजनाओं के सामग्री मद मे विकलनीय होगा।

(4)– उपर्युक्त विन्दू के अनुसार स्वीकृत्यादेश और कार्यादेश तैयार किया गया है और कार्यादेश को सभी संबंधित मेट का दिया जाएगा।

(5)– मेट चयन में सामाजिक वानिकी में दिशा–निर्देश के अनुसार सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाओं को ही लिया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक

मुखिया

40 फलदार पौधारोपण की योजनाओं की सूची :—

प्रखंड—..... पंचायत—.....

क्रमांक	योजना संख्या, नाम एवं कार्य का स्थान	प्राक्कलित राशि	पौधों की इकाई	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत मेट के कार्य संबंधी स्वीकृत्यादेश

जिला–　　प्रखंड–　　ग्राम पंचायत–

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–10, दिनांक–02.01.2007 में दिये गये दिशा–निर्देश में ग्राम सभा से पारित कराकर अनुसूचित जाति की महिला मेट रखने का निर्देश है एवं एग्रो फॉरेस्ट्री/फॉर्म फॉरेस्ट्री के पारा–17.1 के अनुसार 40 वनपोषक अर्थात् 40 इकाई पौधारोपण के लिए एक मेट रखने का प्रावधान है। इस प्रावधान के आलोक में दिनांक.....को ग्राम सभा में पारित कराकर उक्त दिशा–निर्देश के अनुसार 15 दिन का रोस्टर में मेट का चयन किया गया है जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	नाम एवं पता	जॉब कार्ड संख्या
1		
2		
3		
4		

(2) 40 पौधारोपण ईकाई की विवरणी :–

क्रमांक	योजना संख्या, नाम एवं कार्य का स्थान	प्राक्कलित राशि	पौधों की इकाई	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

(3) मेट का दायित्व :–

क– मेट द्वारा समूह के सभी सदस्यों को निर्धारित कार्यक्षेत्र, रोस्टर की अवधि, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने हेतु कितने पौधों को जीवित रखना है इत्यादि से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराना।

ख– प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ होने से पहले समस्त मजदूरों की हाजरी लेना एवं मास्टर रौल संधारण करना तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्त्ता को मास्टर रौल उपलब्ध कराना।

ग– विहित प्रपत्र में हर सप्ताह पौघा का आकलन कर पंचायत रोजगार सेवक को प्रतिवेदन देना।

घ– एक परिवार के 100 दिवस की मजदूरी की पात्रता पूर्ण होने पर जॉबकार्ड में लाल स्याही से अंकित करना।

ड.– फस्ट–ऐड–बॉक्स रखना। फस्ट–ऐड–बॉक्स में परिवार कल्याण का समान यथा– निरोध (कंडोम), पिल्स, एवं अन्य आवश्यक दवायें जो आषा कार्यकर्त्ता के पास उपलब्ध रहता है उसे भी उपलब्ध कराना।

च– श्रमिकों द्वारा पौधों की समुचित रख–रखाव की प्रकिया यथा–खाद डालना, किट ये बचाव हेतु किटनाशक डालना, पटवन कराना तथा मृत पौधों को बदलाव कराने पर परामर्श देना।

छ– जॉब कार्डधारियों का डाकघर/बैंक में बचत खाता खोलना।

ज– श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने हेतु सहयोग करना।

झ– दूसरी किस्त देने के पहले लाभार्थी से आवेदन पत्र लेकर उसका स्थल निरीक्षण कर सत्यापन कराने हेतु पंचायत रोजगार सेवक से सत्यापित कराकर डाकघर या बैंक

ट– कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देष का अनुपालन करना।

ठ– श्रमिकों की विश्राम की अवधि में मेट द्वारा उन्हें साक्षर बनाने (हस्ताक्षर करने से लेकर पढ़ाई–लिखाई करने तक) का काम किया जाएगा, इसके लिए आवश्यक स्लेट एवं अन्य सामग्री योजना के आकस्मिकता मद से मेट को उपलब्ध कराया जाएगा, मेट द्वारा श्रमिकों को परिवार नियोजन, टीकाकरण के फायदों तथा बाल विवाह एवं शराब सेवन के बुराईयों के बारे में भी बताया जाएगा।

नोट– (i) मेट को अकुशल श्रमिक से 10 रुपया अधिक प्रतिकार्य दिवस के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(ii) मेट पर होनेवाले व्यय की गणना सामग्री मद में की जाएगी।

(iii) मेट को हर 15 दिन पर रोस्टर के अनुसार बदला जाएगा।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि –

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत मेट रखने हेतु कार्यादेश

जिला.....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....ग्राम.....

निम्नांकित मेट को निर्देश दिया जाता है कि पारा–3 में दर्शाये गये दायित्वों के आलोक में कार्य करेंगे।

क्रमांक	मेट का नाम एवं पता	जॉबकार्ड संख्या
1		
2		
3		
4		

3. एग्रो फॉरेस्ट्री/फार्म फॉरेस्ट्री के निम्नांकित योजना के क्रियान्वयन हेतु पैरा–3 में वर्णित दायित्वों के आलोक में कार्यादेश दिया जाता है :–40 पौधारोपण ईकाई की विवरणी निम्नांकित है :–

क्रमांक	योजना संख्या, नाम एवं कार्य का स्थान	प्राक्कलित राशि	पौधों की इकाई	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

3. मेट का दायित्व :–

क– मेट द्वारा समूह के सभी सदस्यों को निर्धारित कार्यक्षेत्र, रोस्टर की अवधि, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने हेतु कितने पौधों को जीवित रखना है इत्यादि से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराना।

ख– प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ होने से पहले समस्त मजदूरों की हाजरी लेना एवं मास्टर रौल संधारण करना तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्त्ता को मास्टर रौल उपलब्ध कराना।

ग– विहित प्रपत्र में हर सप्ताह पौधा का आकलन कर पंचायत रोजगार सेवक को प्रतिवेदन देना।

घ– एक परिवार के 100 दिवस की मजदूरी की पात्रता पूर्ण होने पर जॉबकार्ड में लाल स्याही से अंकित करना।

ड.– फस्ट–ऐड–बॉक्स रखना। फस्ट–ऐड–बॉक्स में परिवार कल्याण का समान यथा– निरोध (कंडोम), पिल्स, एवं अन्य आवश्यक दवायें जो आशा कार्यकर्त्ता के पास उपलब्ध रहता है उसे भी उपलब्ध कराना।

च– श्रमिकों द्वारा पौधों की समुचित रख–रखाव की प्रक्रिया यथा–खाद डालना, किट ये बचाव हेतु किटनाशक डालना, पटवन कराना तथा मृत पौधों को बदलाव कराने पर परामर्श देना।

छ– जॉबकार्डधारियों का डाकघर/बैंक में बचत खाता खोलना।

ज– श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने हेतु सहयोग करना।

झ– दूसरी किस्त देने के पहले लाभार्थी से आवेदन पत्र लेकर उसका स्थूल निरीक्षण कर सत्यापन करते हुए रोजगार सेवक से सत्यापित कराकर डाकघर या बैंक से भुगतान कराना।

ट– मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश का अनुपालन करना।

ठ– श्रमिकों की विश्राम की अवधि में मेट द्वारा उन्हें साक्षर बनाने (हस्ताक्षर करने से लेकर पढ़ाई–लिखाई करने तक) का काम किया जाएगा, इसके लिए आवश्यक स्लेट एवं अन्य सामग्री योजना के आकस्मिकता मद से मेट को उपलब्ध कराया जाएगा, मेट द्वारा श्रमिकों को परिवार नियोजन, टीकाकरण के फायदों तथा बाल विवाह एवं शराब सेवन के बुराईयों के बारे में भी बताया जाएगा।

नोट– (i) मेट को अकुशल श्रमिक से 10 रुपया अधिक प्रतिकार्य दिवस के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(ii) मेट पर होनेवाले व्यय की गणना सामग्री मद में की जाएगी।

(iii) मेट को हर 15 दिन पर रोस्टर के अनुसार बदला जाएगा।

(iv) इस कार्यादेश की कार्यालय प्रति में सभी मेट का हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करेंगे।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि – सभी उपरोक्त मेट ..... को प्रेषित।

पंचायत रोजगार सेवक मुखिया

सामाजिक वानिकी (सरकारी जमीन पर , फलदार पौधा की खेती के लिए)
मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 200 पौधे)

जिला .....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....
.....(स्थान) से.....(स्थान) तक पौधारोपण.....

क्रम सं0	कार्य का विवरण	वांछित मात्रा	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	200 लिनियर पौधारोपण की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु (2 वनपोषक)	भुगतान जीवित पौधो के आधार पर प्रति माह 200 पौधो के लिए , 5 वर्षो तक = (200x12x5) @ 7 प्रति पौधे प्रति वनपोषक	7 प्रति पौधे प्रति माह	168000
2	200 गड्ढ़ा खोदने हुतु	बड़े फल वृक्ष 60x60x60cm	@12	1200
		छोटे वृक्ष 30x30x30cm	@1-50	150
3.	200 पौधा खरीद करने हेतु खर्च	सिर्फ कलमी एवं बीजू बड़े फल वृक्ष	@35	3500
		छोटे फल, बांस एवं लकड़ी वृक्ष	@15	1500
4	वांछित चापाकल लगाने हेतु	चापाकल 1 (दक्षिण बिहार)	24378	24378
5	खाद्य एवं कीटनाशक मात्र 200 पौधा के लिए औसत दर	वर्ष 1 में - 15 दिन के अंतराल पर	200x24x0.9	4320
		वर्ष 2 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
		वर्ष 3 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
		वर्ष 4 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
		वर्ष 5 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
6	पानी ढोने हेतु ट्रोली का दर (दक्षिण बिहार)	1 ट्रोली	5000	5000
7	मिट्टी का घड़ा ढक्कन सहित का दर (दक्षिण बिहार)	1 घड़ा प्रति पौधा	200x50	10000
8	योजना का आकास्मिक मद		2%	4534
			कुल	231222

नोट - 1. उत्तर बिहार के लिए चापाकल का अधिकतम दर रूपया 10000 किया जायेगा ।
2. फैसिलिटेटर के शुल्क का भुगतान योजना के आकास्मिक मद से प्रति माह बराबर किश्तो में पांच वर्षो तक किया जायेगा ।

पंचायत तकनीकी सहायक　　कनीय अभियंता

पौधारोपण में जुड़ने वाले वनपोषकों का नाम, जॉबकार्ड सं0 एवं पता :-

1　　2

पंचायत रोजगार सेवक / कार्यक्रम पदाधिकारी

सामाजिक वानिकी (निजी जमीन पर , फलदार पौधा की खेती के लिए)

जिला .....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....

.....(स्थान) से.....(स्थान) तक पौधारोपण.....

क्रम सं0	कार्य का विवरण	वांछित मात्रा	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	200 लिनियर पौधारोपण की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु (1 वनपोषक)	भुगतान जीवित पौधो के आधार पर प्रति माह 200 पौधो के लिए , 5 वर्षो तक = (200x12x5) @ 7 प्रति पौधे प्रति वनपोषक	7 प्रति पौधे प्रति माह	84000
2	200 गड्ढा खोदने हुतु	बड़े फल वृक्ष 60x60x60cm	@12	1200
		छोटे वृक्ष 30x30x30cm	@1-50	150
3.	200 पौधा खरीद करने हेतु खर्च	सिर्फ कलमी एवं बीजू बड़े फल वृक्ष	@35	3500
		छोटे फल, बांस एवं लकड़ी वृक्ष	@15	1500
4	वांछित चापाकल लगाने हेतु	चापाकल 1 (दक्षिण बिहार)	24378	24378
5	खाद्य एवं कीटनाशक मात्र 200 पौधा के लिए औसत दर	वर्ष 1 में - 15 दिन के अंतराल पर	200x24x0.9	4320
		वर्ष 2 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
		वर्ष 3 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
		वर्ष 4 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
		वर्ष 5 में - 30 दिन के अंतराल पर	200x12x0.9	2160
6	पानी ढोने हेतु ट्रोली का दर (दक्षिण बिहार)	1 ट्रोली	5000	5000
7	मिट्टी का घड़ा ढ़क्कन सहित का दर (दक्षिण बिहार)	1 घड़ा प्रति पौधा	200x50	10000
8	योजना का आकास्मिक मद		2%	2854
			कुल	145542

नोट - 1. उत्तर बिहार के लिए चापाकल का अधिकतम दर रूपया 10000 किया जायेगा ।

2. फैसिलिटेटर के शुल्क का भुगतान योजना के आकास्मिक मद से प्रति माह बराबर किश्तो में पांच वर्षो तक किया जायेगा ।

पंचायत तकनीकी सहायक कनीय अभियंता

पौधारोपण में जुड़ने वाले वनपोषकों का नाम, जॉबकार्ड सं0 एवं पता :-

1 2

सामाजिक वानिकी (सरकारी जमीन पर, बांस पौधारोपन की खेती के लिए)
मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 1000 पौधे)

जिला .....प्रखंड.....ग्राम पंचायत.....
.....(स्थान) से.....(स्थान) तक पौधारोपण.....

क्रम सं0	कार्य का विवरण	वांछित मात्रा	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	200 गड्ढ़ा (5 पौधा प्रति गड्ढ़ा)1000 लिनियर पौधारोपण की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु (2 वनपोषक)	भुगतान जीवित पौधो के आधार पर प्रति माह 1000 पौधो के लिए , 5 वर्षो तक = (1000x12x5) @ 1.40 प्रति पौधे प्रति वनपोषक	1.40 प्रति पौधे प्रति माह	168000
2	200 गड्ढ़ा खोदने हुतु	60x60x60cm	@12	2400
3.	1000 पौधा खरीद करने हेतु खर्च	बांस वृक्ष	@15	15000
4	वांछित चापाकल लगाने हेतु	चापाकल 1 (दक्षिण बिहार)	24378	24378
6	पानी ढोने हेतु ट्रोली का दर (दक्षिण बिहार)	1 ट्रोली	5000	5000
7	मिट्टी का घड़ा ढ़क्कन सहित का दर (दक्षिण बिहार)	1 घड़ा प्रति पौधा	200x50	10000
8	योजना का आकास्मिक मद		2%	4496
			कुल	229274

नोट - 1. उत्तर बिहार के लिए चापाकल का अधिकतम दर रूपया 10000 किया जायेगा ।
2. फैसिलिटेटर के शुल्क का भुगतान योजना के आकास्मिक मद से प्रति माह बराबर किश्तो में पांच वर्षो तक किया जायेगा ।

पंचायत तकनीकी सहायक कनीय अभियंता

पौधारोपण में जुड़ने वाले वनपोषकों का नाम, जॉबकार्ड सं0 एवं पता :-

1 2

पंचायत रोजगार सेवक / कार्यक्रम पदाधिकारी